

The “Prohibition of Employment as Manual Scavengers and their Rehabilitation Act, 2013” (MS Act, 2013)



सत्यमेव जयते

**DEPARTMENT OF SOCIAL JUSTICE AND EMPOWERMENT
GOVERNMENT OF INDIA**



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2310]

नई दिल्ली, बुधवार, अक्टूबर 2, 2013/आश्विन 10, 1935

No. 2310]

NEW DELHI, WEDNESDAY, OCTOBER 2, 2013/ASVINA 10, 1935

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय

(सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 अक्टूबर, 2013

का.आ. 2989(अ).—केन्द्रीय सरकार, हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों के नियोजन का प्रतिषेध और उनका पुनर्वास अधिनियम, 2013 (2013 का 25) की धारा । की उप-धारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, 6 दिसम्बर, 2013 को उस तारीख के रूप में नियत करती है जिसको उक्त अधिनियम प्रवृत्त होगा ।

[फा. सं. 12015/3/2008-एससीडी-IV]

संजीव कुमार, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF SOCIAL JUSTICE AND EMPOWERMENT

(Department of Social Justice and Empowerment)

NOTIFICATION

New Delhi, the 1st October, 2013

S.O. 2989(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of Section 1 of the Prohibition of Employment as Manual Scavengers and their Rehabilitation Act, 2013 (25 of 2013), the Central Government hereby appoints the 6th day of December, 2013 as the date on which the said Act shall come into force.

[F. No. 12015/3/2008-SCD-IV]

SANJEEV KUMAR, Jt. Secy.



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II — खण्ड 1

PART II — Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं ३५]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, सितम्बर १९, २०१३/ भाद्र २८, १९३५ (शक)

No. 35] NEW DELHI, THURSDAY, SEPTEMBER 19, 2013/BHADRA 28, 1935 (SAKA)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

MINISTRY OF LAW AND JUSTICE

(Legislative Department)

New Delhi, the 19th September, 2013/Bhadra 28, 1935 (Saka)

The following Act of Parliament received the assent of the President on the 18th September, 2013, and is hereby published for general information:—

THE PROHIBITION OF EMPLOYMENT AS MANUAL SCAVENGERS AND THEIR REHABILITATION ACT, 2013

No. 25 OF 2013

[18th September, 2013.]

An Act to provide for the prohibition of employment as manual scavengers, rehabilitation of manual scavengers and their families, and for matters connected therewith or incidental thereto.

WHEREAS promoting among the citizens fraternity assuring the dignity of the individual is enshrined as one of the goals in the Preamble to the Constitution;

AND WHEREAS the right to live with dignity is also implicit in the Fundamental Rights guaranteed in Part III of the Constitution;

AND WHEREAS article 46 of the Constitution, *inter alia*, provides that the State shall protect the weaker sections, and, particularly, the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes from social injustice and all forms of exploitation;

AND WHEREAS the dehumanising practice of manual scavenging, arising from the continuing existence of insanitary latrines and a highly iniquitous caste system, still persists in various parts of the country, and the existing laws have not proved adequate in eliminating the twin evils of insanitary latrines and manual scavenging;

AND WHEREAS it is necessary to correct the historical injustice and indignity suffered by the manual scavengers, and to rehabilitate them to a life of dignity.

BE it enacted by Parliament in the Sixty-fourth Year of the Republic of India as follows:—

CHAPTER I

PRELIMINARY

Short title,
extent and
commencement.

1. (1) This Act may be called the Prohibition of Employment as Manual Scavengers and their Rehabilitation Act, 2013.

(2) It extends to the whole of India except the State of Jammu and Kashmir.

(3) It shall come into force on such date as the Central Government may, by notification in the Official Gazette, appoint:

Provided that the date so notified shall not be earlier than sixty days after the date of publication of the notification in the Official Gazette.

Definitions.

2. (1) In this Act, unless the context otherwise requires,—

(a) “agency” means any agency, other than a local authority, which may undertake sanitation facilities in an area and includes a contractor or a firm or a company which engages in development and maintenance of real estate;

(b) “appropriate government”, in relation to Cantonment Boards, railway lands, and lands and buildings owned by the Central Government, a Central Public Sector Undertaking or an autonomous body wholly or substantially funded by the Central Government, means the Central Government and in all other cases, the State Government;

(c) “Chief Executive Officer”, in relation to a Municipality or Panchayat, means, its senior-most executive officer, by whatever name called;

(d) “hazardous cleaning” by an employee, in relation to a sewer or septic tank, means its manual cleaning by such employee without the employer fulfilling his obligations to provide protective gear and other cleaning devices and ensuring observance of safety precautions, as may be prescribed or provided in any other law, for the time being in force or rules made thereunder;

(e) “insanitary latrine” means a latrine which requires human excreta to be cleaned or otherwise handled manually, either *in situ*, or in an open drain or pit into which the excreta is discharged or flushed out, before the excreta fully decomposes in such manner as may be prescribed:

Provided that a water flush latrine in a railway passenger coach, when cleaned by an employee with the help of such devices and using such protective gear, as the Central Government may notify in this behalf, shall not be deemed to be an insanitary latrine.

(f) “local authority” means,—

(i) a Municipality or a Panchayat, as defined in clause (e) and clause (f) of article 243P of the Constitution, which is responsible for sanitation in its area of jurisdiction;

(ii) a Cantonment Board constituted under section 10 of the Cantonments Act, 2006; and

(iii) a railway authority;

(g) “manual scavenger” means a person engaged or employed, at the commencement of this Act or at any time thereafter, by an individual or a local authority or an agency or a contractor, for manually cleaning, carrying, disposing of, or otherwise handling in any manner, human excreta in an insanitary latrine or in an open drain or pit into which the human excreta from the insanitary latrines is disposed of, or on a

railway track or in such other spaces or premises, as the Central Government or a State Government may notify, before the excreta fully decomposes in such manner as may be prescribed, and the expression "manual scavenging" shall be construed accordingly.

Explanation.—For the purpose of this clause,—

(a) "engaged or employed" means being engaged or employed on a regular or contract basis;

(b) a person engaged or employed to clean excreta with the help of such devices and using such protective gear, as the Central Government may notify in this behalf, shall not be deemed to be a 'manual scavenger';

64 of 1993.
24 of 1989.
41 of 2006.

(h) "National Commission for Safai Karmacharis" means the National Commission for Safai Karamcharis constituted under section 3 of the National Commission for Safai Karmacharis Act, 1993 and continued by Resolution of the Government of India in the Ministry of Social Justice and Empowerment *vide* No. 17015/18/2003-SCD-VI, dated 24th February, 2004 and as amended from time to time;

(i) "notification" means a notification published in the Official Gazette and the expression "notify" shall be construed accordingly;

(j) "occupier", in relation to the premises where an insanitary latrine exists, or someone is employed as a manual scavenger, means the person who, for the time being, is in occupation of such premises;

(k) "owner", in relation to the premises where an insanitary latrine exists or someone is employed as a manual scavenger, means, the person who, for the time being has legal title to such premises;

(l) "prescribed" means prescribed by the rules made under this Act;

(m) "railway authority" means an authority administering railway land, as may be notified by the Central Government in this behalf;

(n) "railway land" shall have the meaning assigned to it in clause (32A) of section 2 of the Railways Act, 1989;

(o) "sanitary latrine" means a latrine which is not an 'insanitary latrine';

(p) "septic tank" means a water-tight settling tank or chamber, normally located underground, which is used to receive and hold human excreta, allowing it to decompose through bacterial activity;

(q) "sewer" means an underground conduit or pipe for carrying off human excreta, besides other waste matter and drainage wastes;

(r) "State Government", in relation to a Union territory, means the Administrator thereof appointed under article 239 of the Constitution;

(s) "survey" means a survey of manual scavengers undertaken in pursuance of section 11 or section 14.

(2) Words and expressions used and not defined in this Act, but defined in the Cantonments Act, 2006, shall have the same meanings respectively assigned to them in that Act.

(3) The reference to a Municipality under Chapters IV to VIII of this Act shall include a reference to, as the case may be, the Cantonment Board or the railway authority, in respect of areas included within the jurisdiction of the Cantonment Board and the railway land, respectively.

Act to have
overriding
effect.

3. The provisions of this Act shall have effect notwithstanding anything inconsistent therewith contained in the Employment of Manual Scavengers and Construction of Dry Latrines (Prohibition) Act, 1993 or in any other law, or in any instrument having effect by virtue of any other law.

46 of 1993.

Local
authorities to
survey
insanitary
latrines and
provide
sanitary
community
latrines.

4. (1) Every local authority shall,—

(a) carry out a survey of insanitary latrines existing within its jurisdiction, and publish a list of such insanitary latrines, in such manner as may be prescribed, within a period of two months from the date of commencement of this Act;

(b) give a notice to the occupier, within fifteen days from the date of publication of the list under clause (a), to either demolish the insanitary latrine or convert it into a sanitary latrine, within a period of six months from the date of commencement of this Act:

Provided that the local authority may for sufficient reasons to be recorded in writing extend the said period not exceeding three months;

(c) construct, within a period not exceeding nine months from the date of commencement of this Act, such number of sanitary community latrines as it considers necessary, in the areas where insanitary latrines have been found.

(2) Without prejudice to the provisions contained in sub-section (1), Municipalities, Cantonment Boards and railway authorities shall also construct adequate number of sanitary community latrines, within such period not exceeding three years from the date of commencement of this Act, as the appropriate Government may, by notification, specify, so as to eliminate the practice of open defecation in their jurisdiction.

(3) It shall be the responsibility of local authorities to construct community sanitary latrines as specified in sub-sections (1) and (2), and also to make arrangements for their hygienic upkeep at all times.

Explanation.—For the purposes of this section, “community” in relation to railway authorities means passengers, staff and other authorised users of railways.

CHAPTER III

PROHIBITION OF INSANITARY LATRINES AND EMPLOYMENT AND ENGAGEMENT AS MANUAL SCAVENGER

Prohibition of
insanitary
latrines and
employment
and engage-
ment of
manual
scavenger.

5. (1) Notwithstanding anything inconsistent therewith contained in the Employment of Manual Scavengers and Construction of Dry Latrines (Prohibition) Act, 1993, no person, local authority or any agency shall, after the date of commencement of this Act,—

46 of 1993.

(a) construct an insanitary latrine; or

(b) engage or employ, either directly or indirectly, a manual scavenger, and every person so engaged or employed shall stand discharged immediately from any obligation, express or implied, to do manual scavenging.

(2) Every insanitary latrine existing on the date of commencement of this Act, shall either be demolished or be converted into a sanitary latrine, by the occupier at his own cost, before the expiry of the period so specified in clause (b) of sub-section (1) of section 4:

Provided that where there are several occupiers in relation to an insanitary latrine, the liability to demolish or convert it shall lie with,—

(a) the owner of the premises, in case one of the occupiers happens to be the owner; and

(b) all the occupiers, jointly and severally, in all other cases:

Provided that the State Government may give assistance for conversion of insanitary latrines into sanitary latrines to occupiers from such categories of persons and on such scale, as it may, by notification, specify:

Provided further that non-receipt of State assistance shall not be a valid ground to maintain or use an insanitary latrine, beyond the said period of nine months.

(3) If any occupier fails to demolish an insanitary latrine or convert it into a sanitary latrine within the period specified in sub-section (2), the local authority having jurisdiction over the area in which such insanitary latrine is situated, shall, after giving notice of not less than twenty one days to the occupier, either convert such latrine into a sanitary latrine, or demolish such insanitary latrine, and shall be entitled to recover the cost of such conversion or, as the case may be, of demolition, from such occupier in such manner as may be prescribed.

6. (1) Any contract, agreement or other instrument entered into or executed before the date of commencement of this Act, engaging or employing a person for the purpose of manual scavenging shall, on the date of commencement of this Act, be terminated and such contract, agreement or other instrument shall be void and inoperative and no compensation shall be payable therefor.

Contract,
agreement,
etc., to be
void.

(2) Notwithstanding anything contained in sub-section (1), no person employed or engaged as a manual scavenger on a full-time basis shall be retrenched by his employer, but shall be retained, subject to his willingness, in employment on at least the same emoluments, and shall be assigned work other than manual scavenging.

7. No person, local authority or any agency shall, from such date as the State Government may notify, which shall not be later than one year from the date of commencement of this Act, engage or employ, either directly or indirectly, any person for hazardous cleaning of a sewer or a septic tank.

Prohibition of
persons from
engagement or
employment
for hazardous
cleaning of
sewers and
septic tanks.

8. Whoever contravenes the provisions of section 5 or section 6 shall for the first contravention be punishable with imprisonment for a term which may extend to one year or with fine which may extend to fifty thousand rupees or with both, and for any subsequent contravention with imprisonment which may extend to two years or with fine which may extend to one lakh rupees, or with both.

Penalty for
contravention
of section 5 or
section 6.

9. Whoever contravenes the provisions of section 7 shall for the first contravention be punishable with imprisonment for a term which may extend to two years or with fine which may extend to two lakh rupees or with both, and for any subsequent contravention with imprisonment which may extend to five years or with fine which may extend to five lakh rupees, or with both.

Penalty for
contravention
of section 7.

10. No court shall take cognizance of any offence punishable under this Act except upon a complaint thereof is made by a person in this behalf within three months from the date of the occurrence of the alleged commission of the offence.

Limitation of
prosecution.

CHAPTER IV

IDENTIFICATION OF MANUAL SCAVENGERS IN URBAN AND RURAL AREAS AND THEIR REHABILITATION

11. (1) If any Municipality has reason to believe that some persons are engaged or employed in manual scavenging within its jurisdiction, the Chief Executive Officer of such Municipality shall cause a survey to be undertaken to identify such persons.

Survey of
manual
scavengers in
urban areas by
Municipalities.

(2) The content and methodology of the survey referred to in sub-section (1) shall be such as may be prescribed, and it shall be completed within a period of two months from its commencement in the case of Municipal Corporations, and within a period of one month in the case of other Municipalities.

(3) The Chief Executive Officer of the Municipality, in whose jurisdiction the survey is undertaken, shall be responsible for accurate and timely completion of the survey.

(4) After completion of the survey, the Chief Executive Officer shall cause to be drawn up a provisional list of persons found to be working as manual scavengers within the jurisdiction of his Municipality and fulfilling the eligibility conditions as may be prescribed, shall cause such provisional list to be published for general information in such manner, as may be prescribed, and shall invite objections to the list from the general public.

(5) Any person having any objection, either to the inclusion or exclusion of any name in the provisional list published in pursuance of sub-section (4), shall, within a period of fifteen days from such publication, file an objection, in such form as the Municipality may notify, to the Chief Executive Officer.

(6) All objections received in pursuance of sub-section (5), shall be enquired into, and thereafter a final list of persons found to be working as manual scavengers within the local limits of the municipality, shall be published by it in such manner, as may be prescribed.

(7) As soon as the final list of manual scavengers, referred to in sub-section (6) is published, the persons included in the said list shall, subject to the provisions of sub-section (2) of section 6, stand discharged from any obligation to work as manual scavengers.

Application
by an urban
manual
scavenger for
identification.

12. (1) Any person working as a manual scavenger in an urban area, may, either during the survey undertaken by the Municipality in pursuance of section 11, within whose jurisdiction he works, or at any time thereafter, apply, in such manner, as may be prescribed, to the Chief Executive Officer of the Municipality, or to any other officer authorised by him in this behalf, for being identified as a manual scavenger.

(2) On receipt of an application under sub-section (1), the Chief Executive Officer shall cause it to be enquired into, either as part of the survey undertaken under section 11, or, when no such survey is in progress, within fifteen days of receipt of such application, to ascertain whether the applicant is a manual scavenger.

(3) If an application is received under sub-section (1) when a survey under section 11 is not in progress, and is found to be true after enquiry in accordance with sub-section (2), action shall be taken to add the name of such a person to the final list published under sub-section (6) of section 11, and the consequences mentioned in sub-section (7) thereof shall follow.

Rehabilita-
tion of
persons
identified as
manual
scavengers
by a Municipality.

13. (1) Any person included in the final list of manual scavengers published in pursuance of sub-section (6) of section 11 or added thereto in pursuance of sub-section (3) of section 12, shall be rehabilitated in the following manner, namely:—

(a) he shall be given, within one month,—

(i) a photo identity card, containing, *inter alia*, details of all members of his family dependent on him, and

(ii) such initial, one time, cash assistance, as may be prescribed;

(b) his children shall be entitled to scholarship as per the relevant scheme of the Central Government or the State Government or the local authorities, as the case may be;

(c) he shall be allotted a residential plot and financial assistance for house construction, or a ready-built house, with financial assistance, subject to eligibility and willingness of the manual scavenger, and the provisions of the relevant scheme of the Central Government or the State Government or the concerned local authority;

(d) he, or at least one adult member of his family, shall be given, subject to eligibility and willingness, training in a livelihood skill, and shall be paid a monthly stipend of not less than three thousand rupees, during the period of such training;

(e) he, or at least one adult member of his family, shall be given, subject to

eligibility and willingness, subsidy and concessional loan for taking up an alternative occupation on a sustainable basis, in such manner as may be stipulated in the relevant scheme of the Central Government or the State Government or the concerned local authority;

(f) he shall be provided such other legal and programmatic assistance, as the Central Government or State Government may notify in this behalf.

(2) The District Magistrate of the district concerned shall be responsible for rehabilitation of each manual scavenger in accordance with the provisions of sub-section (1) and the State Government or the District Magistrate concerned may, in addition, assign responsibilities in his behalf to officers subordinate to the District Magistrate and to officers of the concerned Municipality.

14. If any Panchayat has reason to believe that some persons are engaged in manual scavenging within its jurisdiction, the Chief Executive Officer of such Panchayat shall cause a survey of such manual scavengers to be undertaken, *mutatis mutandis*, in accordance with the provisions of section 11 and section 12, to identify such person.

Survey of manual scavengers in rural areas by Panchayats.

15. (1) Any person working as a manual scavenger, in a rural area, may, either during the survey undertaken by the Panchayat within whose jurisdiction he works, in pursuance of section 14 or at any time thereafter, apply, in such manner, as may be prescribed, to the Chief Executive Officer of the concerned Panchayat, or to any other officer authorised by him in this behalf, for being identified as a manual scavenger.

Application by a rural manual scavenger for identification.

(2) On receipt of an application under sub-section (1), the Chief Executive Officer shall cause it to be enquired into, either as part of the survey undertaken under section 14 or when no such survey is in progress, within fifteen days of receipt of such application, so as to ascertain whether the applicant is a manual scavenger.

16. Any person included in the final list of manual scavengers, published in pursuance of section 14 or added thereto in pursuance of sub-section (2) of section 15 shall be rehabilitated, *mutatis mutandis*, in the manner laid down for urban manual scavengers in section 13.

Rehabilitation of persons identified as manual scavengers by a Panchayat.

CHAPTER V

IMPLEMENTING AUTHORITIES

17. Notwithstanding anything contained in any other law for the time being in force, it shall be the responsibility of every local authority to ensure, through awareness campaign or in such other manner that after the expiry of a period of nine months, from the date of commencement of this Act,—

Responsibility of local authorities to ensure elimination of insanitary latrines.

(i) no insanitary latrine is constructed, maintained or used within its jurisdiction; and

(ii) in case of contravention of clause (i), action is taken against the occupier under sub-section (3) of section 5.

18. The appropriate Government may confer such powers and impose such duties on local authority and District Magistrate as may be necessary to ensure that the provisions of this Act are properly carried out, and a local authority and the District Magistrate may, specify the subordinate officers, who shall exercise all or any of the powers, and perform all or any of the duties, so conferred or imposed, and the local limits within which such powers or duties shall be carried out by the officer or officers so specified.

Authorities who may be specified for implementing provisions of this Act.

19. The District Magistrate and the authority authorised under section 18 or any other subordinate officers specified by them under that section shall ensure that, after the expiry of such period as specified for the purpose of this Act,—

(a) no person is engaged or employed as manual scavenger within their jurisdiction;

Duty of District Magistrate and authorised officers.

(b) no one constructs, maintains, uses or makes available for use, an insanitary latrine;

(c) manual scavengers identified under this Act are rehabilitated in accordance with section 13, or as the case may be, section 16;

(d) persons contravening the provisions of section 5 or section 6 or section 7 are investigated and prosecuted under the provisions of this Act; and

(e) all provisions of this Act applicable within his jurisdiction are duly complied with.

Appointment
of inspectors
and their
powers.

20. (1) The appropriate Government may, by notification, appoint such persons as it thinks fit to be inspectors for the purposes of this Act, and define the local limits within which they shall exercise their powers under this Act.

(2) Subject to any rules made in this behalf, an inspector may, within the local limits of his jurisdiction, enter, at all reasonable times, with such assistance as he considers necessary, any premises or place for the purpose of,—

(a) examining and testing any latrine, open drain or pit or for conducting an inspection of any premises or place, where he has reason to believe that an offence under this Act has been or is being or is about to be committed, and to prevent employment of any person as manual scavenger;

(b) examine any person whom he finds in such premises or place and who, he has reasonable cause to believe, is employed as a manual scavenger therein, or is otherwise in a position to furnish information about compliance or non-compliance with the provisions of this Act and the rules made thereunder;

(c) require any person whom he finds on such premises, to give information which is in his power to give, with respect to the names and addresses of persons employed on such premises as manual scavenger and of the persons or agency or contractor employing or engaging them;

(d) seize or take copies of such registers, record of wages or notices or portions thereof as he may consider relevant in respect of an offence under this Act which he has reason to believe has been committed by the principal employer or agency; and

(e) exercise such other powers as may be prescribed.

(3) Any person required to produce any document or thing or to give any information required by an inspector under sub-section (2) shall be deemed to be legally bound to do so within the meaning of section 175 and section 176 of the Indian Penal Code.

(4) The provisions of the Code of Criminal Procedure, 1973, shall, so far as may be, apply to any such search or seizure under sub-section (2) as they apply to such search or seizure made under the authority of a warrant issued under section 94 of the said Code.

CHAPTER VI

PROCEDURE FOR TRIAL

Offences to
be tried by
Executive
Magistrate.

21. (1) The State Government may confer, on an Executive Magistrate, the powers of a Judicial Magistrate of the first class for the trial of offences under this Act; and, on such conferment of powers, the Executive Magistrate, on whom the powers are so conferred, shall be deemed, for the purposes of the Code of Criminal Procedure, 1973, to be a Judicial Magistrate of the first class.

45 of 1860.

2 of 1974.

2 of 1974.

(2) An offence under this Act may be tried summarily.

Offence to be
cognizable
and non-
bailable.

22. Notwithstanding anything contained in the Code of Criminal Procedure, 1973, every offence under this Act shall be cognizable and non-bailable.

2 of 1974.

23. (1) Where an offence under this Act has been committed by a company, every person who, at the time the offence was committed, was in charge of, and was responsible to, the company for the conduct of the business of the company, as well as the company, shall be deemed to be guilty of the offence and shall be liable to be proceeded against and punished accordingly.

Offences by companies.

(2) Notwithstanding anything contained in sub-section (1), where any offence under this Act has been committed by a company and it is proved that offence has been committed with the consent or connivance of, or is attributable to, any neglect on the part of, any director, manager, secretary or other officer of the company, such director, manager, secretary or other officer shall be deemed to be guilty of that offence and shall be liable to be proceeded against and punished accordingly.

*Explanation.—*For the purposes of this section,—

(a) "company" means any body corporate and includes a firm or other association of individuals; and

(b) "director" in relation to a firm, means a partner in the firm.

CHAPTER VII

VIGILANCE COMMITTEES

24. (1) Every State Government shall, by notification, constitute a Vigilance Committee for each district and each Sub-Division.

Vigilance Committees.

(2) Each Vigilance Committee constituted for a district shall consist of the following members, namely:—

(a) the District Magistrate—Chairperson, *ex officio*;

(b) all members of the State Legislature belonging to the Scheduled Castes elected from the district—members:

Provided that if a district has no member of the State Legislature belonging to the Scheduled Castes, the State Government may nominate such number of other members of the State Legislature from the district, not exceeding two, as it may deem appropriate.

(c) the district Superintendent of Police—member, *ex officio*;

(d) the Chief Executive Officer of,—

(i) the Panchayat at the district level—member, *ex officio*;

(ii) the Municipality of the district headquarters—member, *ex officio*;

(iii) any other Municipal Corporation constituted in the district—member, *ex officio*;

(iv) Cantonment Board, if any, situated in the district—member, *ex officio*;

(e) one representative be nominated by the railway authority located in the district;

(f) not more than four social workers belonging to organisation working for the prohibition of manual scavenging and rehabilitation of manual scavengers, or, representing the scavenger community, resident in the district, to be nominated by the District Magistrate, two of whom shall be women;

(g) one person to represent the financial and credit institutions in the district, to be nominated by the District Magistrate;

(h) the district-level officer in-charge of the Scheduled Castes Welfare—Member-Secretary, *ex officio*;

(i) district-level officers of Departments and agencies who, in the opinion of the District Magistrate, subject to general orders, if any, of the State Government, have a significant role to play in the implementation of this Act.

(3) Each Vigilance Committee, constituted for a Sub-Division, shall consist of the following members, namely:—

(a) the Sub-Divisional Magistrate—Chairperson, *ex officio*;

(b) the Chairpersons and the Chief Executive Officers of Panchayats at intermediate level of the Sub-Division, and where Panchayats at intermediate level, do not exist, Chairpersons from two Panchayats at Village level to be nominated by the Sub-Divisional Magistrate—member, *ex officio*;

(c) the Sub-Divisional Officer of Police—member, *ex officio*;

(d) Chief Executive Officer of—

(i) the Municipality of the Sub-Divisional headquarters—member, *ex officio*; and

(ii) Cantonment Board, if any, situated in the Sub-Division—member, *ex officio*;

(e) one representative to be nominated by the railway authority located in the Sub-Division—member, *ex officio*;

(f) two social workers belonging to the organisation working for the prohibition of manual scavenging and rehabilitation of the manual scavengers, or representing the scavenger community resident in the Sub-Division, to be nominated by the District Magistrate, one of whom shall be a woman;

(g) one person to represent the financial and credit institutions in the Sub-Division, to be nominated by the Sub-Divisional Magistrate;

(h) the Sub-Divisional level officer in-charge of Scheduled Castes welfare—Member-Secretary, *ex officio*;

(i) Sub-Divisional level officers of Department and agencies who in the opinion of the Sub-Divisional Magistrate, subject to any general orders of the State Government or the District Magistrate, have a significant role to play in the implementation of this Act—member, *ex officio*.

(4) Each Vigilance Committee constituted at district and Sub-Divisional level shall meet at least once in every three months.

(5) No proceeding of a Vigilance Committees shall be invalid merely by reason of any defect in its constitution.

25. The functions of Vigilance Committee shall be—

(a) to advise the District Magistrate or, as the case may be, the Sub-Divisional Magistrate, on the action which needs to be taken, to ensure that the provisions of this Act or of any rule made thereunder are properly implemented;

(b) to oversee the economic and social rehabilitation of manual scavengers;

(c) to co-ordinate the functions of all concerned agencies with a view to channelise adequate credit for the rehabilitation of manual scavengers;

(d) to monitor the registration of offences under this Act and their investigation and prosecution.

26. (1) Every State Government shall, by notification, constitute a State Monitoring Committee, consisting of the following members, namely:—

- (a) the Chief Minister of State or a Minister nominated by him—Chairperson, *ex officio*;
 - (b) the Minister-in-charge of the Scheduled Castes Welfare, and such other Department, as the State Government may notify;
 - (c) Chairperson of the State Commissions for Safai Karamcharis, and Scheduled Castes, if any—member, *ex officio*;
 - (d) representatives of the National Commission for Scheduled Castes, and Safai Karamcharis—member, *ex officio*;
 - (e) not less than two members of the State Legislature belonging to the Scheduled Castes, nominated by the State Government:
- Provided that if any State Legislature has no member belonging to the Scheduled Castes, the State Government may nominate the members belonging to the Scheduled Tribes;
- (f) the Director-General of Police—member, *ex officio*;
 - (g) Secretaries to the State Government in the Departments of Home, Panchayati Raj, Urban Local Bodies, and such other Departments, as the State Government may notify;
 - (h) Chief Executive Officer of at least one Municipal Corporation, Panchayat at the district-level, Cantonment Board and railway authority as the State Government may notify;
 - (i) not more than four social workers belonging to organisation working for the prohibition of manual scavenging and rehabilitation of manual scavengers, or, representing the scavenger community, resident in the State, to be nominated by the State Government, two of whom shall be women;
 - (j) State-level head of the convener Bank of the State Level Bankers' Committee—member, *ex officio*;
 - (k) Secretary of the Department of the State Government dealing with development of the Scheduled Castes—Member-Secretary, *ex officio*;
 - (l) such other representative of Departments of the State Government and such other agencies which, in the opinion of the State Government, are concerned with the implementation of this Act.

(2) The State Monitoring Committee shall meet at least once in every six months and shall observe such rules of procedure in regard to the transaction of business at its meetings as may be prescribed.

27. The functions of the State Monitoring Committee shall be—

- (a) to monitor and advise the State Government and local authorities for effective implementation of this Act;
- (b) to co-ordinate the functions of all concerned agencies;
- (c) to look into any other matter incidental thereto or connected therewith for implementation of this Act.

Functions of
the State
Monitoring
Committee.

28. Every State or Union territory Government and Union territory administration shall send such periodic reports to the Central Government about progress of implementation of this Act, as the Central Government may require.

Duty of
States or
Union
territories to
send periodic
reports to the
Central
Government.

29. (1) The Central Government shall, by notification, constitute a Central Monitoring Committee in accordance with the provisions of this section.

Central
Monitoring
Committee.

State
Monitoring
Committee.

(2) The Central Monitoring Committee shall consist of the following members, namely:—

- (a) The Union Minister for Social Justice and Empowerment—Chairperson, *ex officio*;
- (b) Chairperson of the National Commission for Scheduled Castes—member, *ex officio*;
- (c) Minister of State in the Ministry of Social Justice and Empowerment—member, *ex officio*;
- (d) Chairperson, National Commission for Safai Karamcharis—member, *ex officio*;
- (e) the Member of the Planning Commission dealing with development of the Scheduled Castes—member, *ex officio*;
- (f) three elected members of Parliament belonging to Scheduled Castes, two from the Lok Sabha and one from the Rajya Sabha;
- (g) Secretaries of the Ministries of,—
 - (i) Social Justice and Empowerment, Department of Social Justice and Empowerment;
 - (ii) Urban Development;
 - (iii) Housing and Urban Poverty Alleviation;
 - (iv) Drinking Water and Sanitation;
 - (v) Panchayati Raj;
 - (vi) Finance, Department of Financial Services; and
 - (vii) Defence,
 members, *ex officio*;
- (h) Chairman, Railway Board—member, *ex officio*;
- (i) Director-General, Defence Estates—member, *ex officio*;
- (j) representatives of not less than six State Governments and one Union territory, as the Central Government may, notify;
- (k) not more than six social workers belonging to organisation working for the prohibition of manual scavenging and rehabilitation of manual scavengers, or, representing the scavenger community, resident in the country, to be nominated by the Chairperson, two of whom shall be women;
- (l) Joint Secretary, Department of Social Justice and Empowerment in the Ministry of Social Justice and Empowerment, looking after development of Scheduled Castes—Member-Secretary, *ex officio*;
- (m) such other representatives of Central Ministries or Departments and agencies which, in the opinion of the Chairperson, are concerned with the implementation of this Act.

(3) The Central Monitoring Committee shall meet at least once in every six months.

30. The functions of the Central Monitoring Committee shall be,—

- (a) to monitor and advise the Central Government and State Government for effective implementation of this Act and related laws and programmes;
- (b) to co-ordinate the functions of all concerned agencies;
- (c) to look into any other matter incidental to or connected with implementation of this Act.

31. (1) The National Commission for Safai Karamcharis shall perform the following functions, namely:—

(a) to monitor the implementation of this Act;

(b) to enquire into complaints regarding contravention of the provisions of this Act, and to convey its findings to the concerned authorities with recommendations requiring further action; and

(c) to advise the Central and the State Governments for effective implementation of the provisions of this Act.

(d) to take *suo motu* notice of matter relating to non-implementation of this Act.

(2) In the discharge of its functions under sub-section (1), the National Commission shall have the power to call for information with respect to any matter specified in that sub-section from any Government or local or other authority.

32. (1) The State Government may, by notification, designate a State Commission for Safai Karamcharis or a State Commission for the Scheduled Castes or such other statutory or other authority, as it deems fit, to perform, within the State, *mutatis mutandis*, the functions specified in sub-section (1) of section 31.

(2) An authority designated under sub-section (1) shall, within the State, have, *mutatis mutandis*, the powers of the National Commission for Safai Karamcharis as specified in sub-section (2) of section 31.

CHAPTER VIII

MISCELLANEOUS

33. (1) It shall be the duty of every local authority and other agency to use appropriate technological appliances for cleaning of sewers, septic tanks and other spaces within their control with a view to eliminating the need for the manual handling of excreta in the process of their cleaning.

(2) It shall be the duty of the appropriate Government to promote, through financial assistance, incentives and otherwise, the use of modern technology, as mentioned in sub-section (1).

34. No suit, prosecution or other legal proceeding shall lie against an appropriate Government or any officer of the appropriate Government or any member of the Committee for anything which is in good faith done or intended to be done under this Act.

35. No civil court shall have jurisdiction in respect of any matter to which any provision of this Act applies and no injunction shall be granted by any civil court in respect of anything, which is done or intended to be done, by or under this Act.

36. (1) The appropriate Government shall, by notification, make rules for carrying out the provisions of this Act, within a period not exceeding three months from the date of commencement of this Act.

(2) In particular, and without prejudice to the generality of the foregoing power, such rules may provide for all or any of the following matters, namely:—

(a) the obligation of an employer, under clause (d) of sub-section (1) of section 2;

(b) the manner in which the excreta fully decomposes under clauses (e) and (g) of sub-section (1) of section 2;

(c) the manner of carrying out survey of insanitary latrine and publishing list thereof under clause (a) of sub-section (1) of section 4;

(d) procedure of giving notice and recovering cost of demolition of an insanitary latrine under sub-section (3) of section 5;

(e) content and methodology of the survey under sub-section (2) of section 11;

Functions of
National
Commission
for Safai
Karamcharis.

Power of
State
Government
to designate
an appropriate
authority
to monitor
the imple-
mentation of
this Act.

Duty of local
authorities
and other
agencies to
use modern
technology
for cleaning
of sewers, etc.

Protection of
action taken
in good faith.

Jurisdiction of
civil courts
barred.

Power of
appropriate
Government
to make rules.

(f) the eligibility conditions for identification of manual scavengers and publication of provisional list of persons found to be working as manual scavengers under sub-section (4) of section 11;

(g) publication of final list of persons found to be working as manual scavengers under sub-section (6) of section 11;

(h) manner of application to be made to the Chief Executive Officer of the municipality, or to an officer authorised by him in this behalf, under sub-section (1) of section 12 or, as the case may be, sub-section (1) of section 15;

(i) provision of initial, one time, cash assistance under sub-clause (ii) of clause (a) of sub-section (1) of section 13;

(j) such other powers of Inspectors under clause (e) of sub-section (2) of section 20; and

(k) any other matter which is required to be, or may be, prescribed.

(3) Every rule made under this Act by the Central Government shall be laid, as soon as may be after it is made, before each House of Parliament, while it is in session, for a total period of thirty days which may be comprised in one session or in two or more successive sessions, and if, before the expiry of the session immediately following the session or the successive sessions aforesaid, both Houses agree in making any modification in the rule or both Houses agree that the rule should not be made, the rule shall thereafter have effect only in such modified form or be of no effect, as the case may be; so, however, that any such modification or annulment shall be without prejudice to the validity of anything previously done under that rule.

(4) Every rule made under this Act by the State Government shall, as soon as may be after it is made, be laid before each House of State Legislature, where there are two Houses and where there is one House of State Legislature, before that House.

37. (1) Notwithstanding anything contained in section 36 of this Act:—

(a) the Central Government shall, by notification, publish model rules for the guidance and use of State Governments; and

(b) in case the State Government fails to notify the rules under section 36 of this Act within the period of three months specified therein, then the model rules as notified by the Central Government shall be deemed to have come into effect, *mutatis mutandis*, in such State, till such time as the State Government notifies its rules.

(2) The model rules made by the Central Government under this Act shall be laid, as soon as may be after they are made, before each House of Parliament while it is in session, for a total period of thirty days which may be comprised in one session or in two or more successive sessions, and if, before the expiry of the session immediately following the session or the successive sessions aforesaid, both Houses make any modification in the rule, the rule shall thereafter have effect only in such modified form; so, however, that any such modification shall be without prejudice to the validity of anything previously done under that rule.

38. (1) If any difficulty arises in giving effect to the provisions of this Act, the Central Government may, by order published in the Official Gazette, make such provisions, not inconsistent with the provisions of this Act, as may appear to it to be necessary or expedient for the removal of the difficulty:

Provided that no such order shall be made in relation to a State after the expiration of three years from the commencement of this Act in that State.

(2) Every order made under this section shall, as soon as may be after it is made, be laid before each House of Parliament.

Power of
Central
Government
to make model
rules.

Power to
remove
difficulties.

Power to
exempt.

39. (1) The appropriate Government may, by a general or special order published in the Official Gazette, for reasons to be recorded, and subject to such conditions as it may impose, exempt any area, category of buildings or class of persons from any provisions of this Act or from any specified requirement contained in this Act or any rule, order, notification, bye-laws or scheme made thereunder or dispense with the observance of any such requirement in a class or classes of cases, for a period not exceeding six months at a time.

(2) Every general or special order made under this section shall be laid, as soon as may be after it is made, before each House of Parliament or each House of State Legislature, where there are two Houses and where there is one House of State Legislature, before that House.

P.K. MALHOTRA,
Secy. to the Govt. of India.



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

— असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग 2 — अनुभाग 1क

PART II — Section 1A

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1] नई दिल्ली, मंगलवार, फरवरी 18, 2014/ माघ 29, 1935 (शक)
No. 1 NEW DELHI, TUESDAY, FEBRUARY 18, 2014/ MAGHA 29, 1935 (SAKA) [खंड I
Vol. I

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

विधि और न्याय मंत्रालय

(विधायी विभाग)

नई दिल्ली, 18 फरवरी, 2014/29 माघ, 1935 (शक)

दि नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो-साईसेज, बंगलौर ऐक्ट, 2012; (2) दि प्रिवेंशन ऑफ मनी-लान्डरिंग (अमेंडमेंट) ऐक्ट, 2012; (3) दि अनलाफुल एक्टिविटीज (प्रिवेंशन) अमेंडमेंट ऐक्ट, 2012; (4) दि फाइनेंस ऐक्ट, 2013; (5) दि नेशनल हाईब्रेज अथारिटी ऑफ इंडिया (अमेंडमेंट) ऐक्ट, 2013; (6) दि नेशनल फूड सिक्युरिटी ऐक्ट, 2013; (7) दि सिक्युरिटी एंड एक्सचेंज ओर्ड ऑफ इंडिया (अमेंडमेंट) ऐक्ट, 2013; (8) दि कान्स्टीट्यूशन (शिड्यूल ट्राईब्स) आर्डर (अमेंडमेंट) ऐक्ट, 2013; (9) दि प्रोहिबिशन ऑफ एम्लायमेंट एज मैन्युल स्केवेंजर एंड दिवर रिहेबिलिटेशन ऐक्ट, 2013; (10) दि राजीव गांधी नेशनल एविएशन यूनिवर्सिटी ऐक्ट, 2013; (11) दि वक्फ (अमेंडमेंट) ऐक्ट, 2013; (12) दि पार्लियामेंट (प्रिवेंशन ऑफ डिसक्वालिफिकेशन) अमेंडमेंट ऐक्ट, 2013; और (13) दि रिप्रेजेन्टेशन ऑफ दि पीपुल (अमेंडमेंट एंड वेलीडेशन) ऐक्ट, 2013 को निम्नलिखित हिन्दी अनुवाद राष्ट्रपति के प्राधिकार से प्रकाशित किए जाते हैं और ये राजभाषा अधिनियम, 1963 (1963 का 19) की धारा 5 की उपधारा (1) के खण्ड (क) के अधीन उनके हिन्दी में प्राधिकृत पाठ समझे जाएंगे:—

MINISTRY OF LAW AND JUSTICE

(LEGISLATIVE DEPARTMENT)

New Delhi, February 18, 2014/Magha 29, 1935 (Saka)

The translation in Hindi of the following namely:—

The National Institute of Mental Health and Neuro-Sciences, Bangalore, Act, 2012; (2) The Prevention of Money-laundering (Amendment) Act, 2012; (3) The Unlawful Activities (Prevention) Amendment Act, 2012; (4) The Finance Act, 2013; (5) The National Highways Authority of India (Amendment) Act, 2013; (6) The National Food Security Act, 2013; (7) The Securities and Exchange Board of India (Amendment) Act, 2013; (8) The Constitution (Scheduled Tribes) Order (Amendment) Act, 2013; (9) The Prohibition of Employment as Manual Scavengers and their Rehabilitation Act, 2013; (10) The Rajiv Gandhi National Aviation University Act, 2013; (11) The Wakf (Amendment) Act, 2013; (12) The Parliament (Prevention of Disqualification) Amendment Act, 2013; and (13) The Representation of the People (Amendment and Validation) Act, 2013 are hereby published under the authority of the President and shall be deemed to be the authoritative texts thereof in Hindi under clause (a) of sub-section (1) of section 5 of the Official Languages Act, 1963 (19 of 1963):—

हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों के नियोजन का प्रतिषेध और उनका पुनर्वास अधिनियम, 2013

(2013 का अधिनियम संख्यांक 25)

[18 सितम्बर, 2013]

हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों के रूप में नियोजन के प्रतिषेध, हाथ से मैला
उठाने वाले कर्मियों और उनके कुटुंबों के पुनर्वास तथा उनसे संबंधित या
उनके आनुषंगिक विषयों का उपबंध
करने के लिए
अधिनियम

संविधान की उद्देशिका में व्यक्ति की गरिमा को सुनिश्चित करते हुए नागरिकों
के बीच बंधुता बढ़ाने को एक लक्ष्य के रूप में उल्लिखित किया गया है ;

और संविधान के भाग 3 में गारंटीकृत मूल अधिकारों में गरिमा के साथ रहने
के अधिकार को भी विवक्षित किया गया है ;

और संविधान के अनुच्छेद 46 में, अन्य बातों के साथ-साथ, यह उपबंधित है
कि राज्य, दुर्बल वर्गों की और विशिष्टतया, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित
जनजातियों की सामाजिक अन्याय और सभी प्रकार के शोषण से संरक्षा करेगा ;

अस्वच्छ शौचालयों के सतत बने रहने और अत्यंत अन्यायी जाति-व्यवस्था से उद्भूत हाथ से मैला उठाने की अमानवीय प्रथा देश के विभिन्न भागों में अभी भी जारी है और विद्यमान विधियां अस्वच्छ शौचालयों और हाथ से मैला उठाने की दोहरी बुराइयों को दूर करने में पर्याप्त साधित नहीं हुई हैं ;

और हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों द्वारा सहन किए गए ऐतिहासिक अन्याय और तिरस्कार को रोकना तथा गरिमापूर्ण जीवन के लिए उनका पुनर्वास करना आवश्यक है ;

भारत गणराज्य के चौंसठवें वर्ष में संसद द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

अध्याय 1

प्रारंभिक

संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ ।

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों के नियोजन का प्रतिषेध और उनका पुनर्वास अधिनियम, 2013 है ।

(2) इसका विस्तार जम्मू-कश्मीर राज्य के सिवाय संपूर्ण भारत पर है ।

(3) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा जो केंद्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियत करे :

परंतु इस प्रकार अधिसूचित तारीख, राजपत्र में अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख के पश्चात् साठ दिन से पूर्व की नहीं होगी ।

परिभाषाएँ ।

2. (1) इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) “अभिकरण” से, स्थानीय प्राधिकरण से भिन्न, ऐसा कोई अभिकरण अभिप्रेत है जो किसी क्षेत्र में स्वच्छता संबंधी सुविधाएं प्रदान करने का जिम्मा अपने ऊपर ले सके और इसके अंतर्गत ऐसा कोई ठेकेदार या फर्म या कंपनी है, जो भू-संपदा के विकास और अनुरक्षण कार्य में लगती है ;

(ख) “समुचित सरकार” से, छावनी बोर्ड, रेल भूमि और केंद्रीय सरकार, केंद्रीय पब्लिक सेक्टर उपक्रम या केंद्रीय सरकार द्वारा पूर्णतया या सारभूत रूप से वित्तपोषित स्वशासी निकाय के स्वामित्वाधीन भूमि और भवनों के संबंध में, केंद्रीय सरकार और अन्य सभी मामलों में राज्य सरकार अभिप्रेत है ;

(ग) किसी नगरपालिका या पंचायत के संबंध में “मुख्य कार्यपालक अधिकारी” से उसका ज्येष्ठतम कार्यपालक अधिकारी, चाहे वह किसी भी नाम से ज्ञात हो, अभिप्रेत है ;

(घ) किसी मलनाली या मलाशय के संबंध में, किसी कर्मचारी द्वारा “परिसंकटमय सफाई” से नियोज़ैक द्वारा संरक्षात्मक साधनों और अन्य सफाई करने की युक्तियां उपलब्ध कराने वाली अपनी बाध्यताओं को पूरा किए बिना और सुरक्षा संबंधी ऐसी पूर्वावधानियों का, जो तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि या उसके अधीन बनाए गए नियमों में विहित या उपबंधित की जाएं, अनुपालन सुनिश्चित किए बिना ऐसे कर्मचारी द्वारा किया गया उसका सफाई कार्य अभिप्रेत है ;

(ङ) “अस्वच्छ शौचालय” से ऐसा कोई शौचालय अभिप्रेत है, जिसमें मल-मूत्र के, ऐसी रीति से जो विहित की जाए, पूर्णतया विघटित होने से पूर्व मानव मल-मूत्र की या तो उसी स्थान से या किसी ऐसी खुली नाली या गड्ढे में से जिसमें मल-मूत्र को निस्सारित या संप्रवाहित किया गया है, सफाई की जानी अपेक्षित होती है या अन्यथा उसको हाथ से उठाया जाना अपेक्षित होता है:

परंतु किसी रेल यात्री डिब्बे में जलीय फ्लश शौचालय को, जब उसकी किसी कर्मचारी द्वारा ऐसी युक्तियों की सहायता से और ऐसे संरक्षात्मक साधन के उपयोग से, जो केंद्रीय सरकार इस निमित्त अधिसूचित करे, सफाई की जाती है, अस्वच्छ शौचालय नहीं समझा जाएगा ;

(च) “स्थानीय प्राधिकारी” से अभिप्रेत है—

(i) संविधान के अनुच्छेद 243त के खंड (ड) और खंड (च) में यथापरिभाषित ऐसी कोई नगरपालिका या पंचायत, जो अपनी अधिकारिता के क्षेत्र में स्वच्छता बनाए रखने के प्रति उत्तरदायी है ;

(ii) छावनी अधिनियम, 2006 की धारा 10 के अधीन गठित कोई छावनी बोर्ड ; और

(iii) कोई रेल प्राधिकारी ;

(छ) “हाथ से मैला उठाने वाले कर्मी” से ऐसा कोई व्यक्ति अभिप्रेत है, जिसको इस अधिनियम के प्रारंभ पर या उसके पश्चात् किसी समय किसी अस्वच्छ शौचालय से या किसी खुली नाली या ऐसे गड्ढे में से, जिसमें अस्वच्छ शौचालयों से या किसी रेलपथ से या ऐसे अन्य स्थानों या परिसरों से, जिनको केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार अधिसूचित करे, मल-मूत्र के, ऐसी रीति से, जो विहित की जाए, पूर्णतया विघटित होने से पूर्व, मानव मल-मूत्र को डाला जाता है, हाथ से सफाई करने, उसको ले जाने, उसके निपटान में या अन्यथा किसी रीति से उठाने के लिए किसी व्यष्टि या स्थानीय प्राधिकारी या अभिकरण या ठेकेदार द्वारा लगाया जाता है या नियोजित किया जाता है और “हाथ से मैला उठाने” पद का तदनुसार अर्थ लगाया जाएगा।

स्पष्टीकरण—इस खंड के प्रयोजन के लिए—

(क) “लगाया जाना या नियोजित किया जाना” से नियमित या संविदा आधार पर लगाया जाना या नियोजित किया जाना अभिप्रेत है;

(ख) ऐसी युक्तियों की सहायता से और ऐसे संरक्षात्मक साधन के उपयोग से, जो केंद्रीय सरकार द्वारा इस निमित्त अधिसूचित किए जाएं, मल-मूत्र को साफ करने के लिए लगाया गया या नियोजित किया गया कोई व्यक्ति ‘हाथ से मैला उठाने वाला कर्मी’ नहीं समझा जाएगा ;

(ज) “राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग” से राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग अधिनियम, 1993 की धारा 3 के अधीन गठित किया गया और भारत सरकार के सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के समय-समय पर यथासंशोधित संकल्प संख्यांक 17015/18/2003-एस.सी.डी.-VI, तारीख 24 फरवरी, 2004 द्वारा बनाए रखा गया राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग अभिप्रेत है ;

(झ) “अधिसूचना” से राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना अभिप्रेत है और “अधिसूचित” पद का तदनुसार अर्थ लगाया जाएगा ;

(ज) ऐसे परिसरों के संबंध में, जहां कोई अस्वच्छ शौचालय विद्यमान है या जहां किसी को हाथ से मैला उठाने वाले कर्मी के रूप में नियोजित किया जाता है, वहां “अधिभोगी” से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है, जिसके अधिभोग में तत्समय ऐसे परिसर हैं ;

(ट) ऐसे परिसरों के संबंध में, जहां कोई अस्वच्छ शौचालय विद्यमान है या जहां किसी को हाथ से मैला उठाने वाले कर्मी के रूप में नियोजित किया जाता है, वहां “स्वामी” से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है, जिसके पास तत्समय ऐसे परिसरों का विधिक हक है ;

(ठ) “विहित” से इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है ;

(ड) “रेल प्राधिकारी” से रेल भूमि का प्रशासन करने वाला ऐसा कोई प्राधिकारी अभिप्रेत है जिसको केंद्रीय सरकार द्वारा इस निमित्त अधिसूचित किया जाए ;

(ढ) “रेल भूमि” का वह अर्थ होगा, जो रेल अधिनियम, 1989 की धारा 2 के खंड (32क) में है ;

1989 का 24

(ण) “स्वच्छ शौचालय” से ऐसा शौचालय अभिप्रेत है, जो ‘अस्वच्छ शौचालय’ नहीं है ;

(त) “मलाशय” से सामान्यतया भूमि के नीचे अवस्थित ऐसा कोई जलरोधी निथार-टंकी या चैंबर अभिप्रेत है, जिसका उपयोग मानव मल-मूत्र डालने और रखने के लिए किया जाता है, जिससे उसका जीवाण्विक क्रियाकलापों से विघटन हो सके ;

(थ) “मलनाली” से अन्य अपशिष्ट पदार्थ और मलनाली के अपशिष्ट पदार्थों के अतिरिक्त मानव मल-मूत्र को निपटाने के लिए भूमिगत कोई नाली या पाइप अभिप्रेत है ;

(द) किसी संघ राज्यक्षेत्र के संबंध में, “राज्य सरकार” से संविधान के अनुच्छेद 239 के अधीन नियुक्त उसका प्रशासक अभिप्रेत है ;

(ध) “सर्वेक्षण” से धारा 11 या धारा 14 के अनुसरण में किया गया कोई हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों का सर्वेक्षण अभिप्रेत है ।

(2) उन शब्दों और पदों के, जो इस अधिनियम में प्रयुक्त हैं और परिभाषित नहीं हैं, किंतु छावनी अधिनियम, 2006 में परिभाषित हैं, वही अर्थ होंगे, जो उस अधिनियम में हैं ।

2006 का 41

(3) इस अधिनियम के अध्याय 4 से अध्याय 8 के अधीन किसी नगरपालिका के प्रति निर्देश के अंतर्गत, उन क्षेत्रों के संबंध में जो क्रमशः छावनी बोर्ड और रेल भूमि की अधिकारिता के भीतर सम्मिलित किए गए हैं, यथास्थिति, छावनी बोर्ड या रेल प्राधिकरण के प्रति निर्देश होगा ।

3. इस अधिनियम के उपबंध, सफाई कर्मचारी नियोजन और शुष्क शौचालय सन्निर्माण (प्रतिषेध) अधिनियम, 1993 या किसी अन्य विधि अथवा ऐसी किसी अन्य लिखित में, जो किसी अन्य विधि के आधार पर प्रभावी है, किसी असंगत बात के होते हुए भी प्रभावी होंगे ।

अध्याय 2

अस्वच्छ शौचालयों की पहचान करना

4. (1) प्रत्येक स्थानीय प्राधिकारी,—

(क) अपनी अधिकारिता के भीतर विद्यमान अस्वच्छ शौचालयों का सर्वेक्षण करेगा और ऐसे अस्वच्छ शौचालयों की एक सूची, इस अधिनियम के प्रारंभ की तारीख से दो मास की अवधि के भीतर, ऐसी रीति से, जो विहित की जाए, प्रकाशित करेगा;

(ख) अधिभोगी को, खंड (क) के अधीन सूची के प्रकाशन की तारीख से पन्द्रह दिन के भीतर, अस्वच्छ शौचालय को, इस अधिनियम के प्रारंभ की तारीख से छह मास की अवधि के भीतर, या तो तोड़ने या उसको स्वच्छ शौचालय में संपरिवर्तित करने की सूचना देगा :

परंतु स्थानीय प्राधिकारी, ऐसे पर्याप्त कारणों से जो लेखबद्ध किए जाएं, उक्त अवधि को तीन मास से अनधिक अवधि तक बढ़ा सकेगा;

(ग) इस अधिनियम के प्रारंभ की तारीख से नीं मास से अनधिक की अवधि के भीतर, ऐसे क्षेत्रों में, जहाँ अस्वच्छ शौचालय पाए गए हैं, उतने स्वच्छ सामुदायिक शौचालयों का, जितने वह आवश्यक समझे, सन्निर्माण करेगा।

(2) उपधारा (1) में अंतर्विष्ट उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, नगरपालिकाएं, छावनी बोर्ड और रेल प्राधिकारी भी, इस अधिनियम के प्रारंभ की तारीख से तीन वर्ष से अनधिक की ऐसी अवधि के भीतर, जो समुचित सरकार, अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करे, पर्याप्त संख्या में स्वच्छ सामुदायिक शौचालयों का सन्निर्माण करेंगे, जिससे उनकी अधिकारिता में खुले में मलत्याग की प्रथा को समाप्त किया जा सके।

(3) स्थानीय प्राधिकारियों का यह उत्तरदायित्व होगा कि वे उपधारा (1) और उपधारा (2) में यथाविनिर्दिष्ट सामुदायिक स्वच्छ शौचालयों का सन्निर्माण कराएं और सभी समयों पर उनके स्वच्छ रखरखाव करने की भी व्यवस्था करें।

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजनों के लिए रेल प्राधिकारियों के संबंध में ‘‘समुदाय’’ से रेल के यात्री, कर्मचारिवृन्द और अन्य प्राधिकृत उपयोक्ता अभिप्रेत हैं।

अध्याय 3

अस्वच्छ शौचालयों और हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों के रूप में नियोजन और लगाए जाने का प्रतिषेध

1993 का 46

5. (1) सफाई कर्मचारी नियोजन और शुष्क शौचालय सन्निर्माण (प्रतिषेध) अधिनियम, 1993 में अंतर्विष्ट उससे असंगत किसी बात के होते हुए भी, कोई व्यक्ति, स्थानीय प्राधिकारी या कोई अभिकरण, इस अधिनियम के प्रारंभ की तारीख के पश्चात्—

अस्वच्छ शौचालयों और हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों के नियोजन और लगाए जाने का प्रतिषेध।

(क) किसी अस्वच्छ शौचालय का सन्निर्माण नहीं करेगा ; या

(ख) हाथ से मैला उठाने वाले किसी कर्मी को, या तो प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः न तो लगाएगा या न ही नियोजित करेगा और इस प्रकार लगाया गया या नियोजित किया गया प्रत्येक व्यक्ति हाथ से मैला उठाने की, अभिव्यक्त या विवक्षित, किसी बाध्यता से तुरंत उन्मोचित हो जाएगा।

(2) इस अधिनियम के प्रारंभ की तारीख को विद्यमान प्रत्येक अस्वच्छ शौचालय को अधिभोगी द्वारा धारा 4 की उपधारा (1) के खंड (ख) में इस प्रकार विनिर्दिष्ट अवधि के अवसान से पूर्व स्वयं अपने खर्च पर या तो तोड़ दिया जाएगा या एक स्वच्छ शौचालय में संपरिवर्तित कर दिया जाएगा :

परंतु जहां, किसी अस्वच्छ शौचालय के संबंध में अनेक अधिभोगी हैं, वहां उसको तोड़ने या संपरिवर्तित करने का दायित्व,—

(क) परिसरों के स्वामी पर होगा, यदि उनमें से एक अधिभोगी उसका स्वामी हो ; और

(ख) अन्य सभी दशाओं में, संयुक्त रूप से और पृथक् रूप से, सभी अधिभोगियों पर होगा :

परंतु राज्य सरकार, ऐसे प्रवर्गों के व्यक्तियों से संबद्ध अधिभोगियों को और ऐसे मापमान पर, जो वह अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करे, अस्वच्छ शौचालयों को स्वच्छ शौचालयों में संपरिवर्तित करने के लिए सहायता प्रदान कर सकेगी :

परंतु यह और कि राज्य की सहायता प्राप्त न होना, नौ मास की उक्त अवधि के पश्चात् किसी अस्वच्छ शौचालय को बनाए रखने या उसका उपयोग करने का कोई विधिमान्य आधार नहीं होगा ।

(3) यदि कोई अधिभोगी, उपधारा (2) में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर किसी अस्वच्छ शौचालय को तोड़ने या उसको स्वच्छ शौचालय में संपरिवर्तित करने में असफल रहेगा तो उस क्षेत्र पर, जिसमें ऐसा अस्वच्छ शौचालय स्थित है, अधिकारिता रखने वाला स्थानीय प्राधिकारी, अधिभोगी को इक्कीस दिन से अन्युन की सूचना देने के पश्चात् ऐसे शौचालय को या तो स्वच्छ शौचालय में संपरिवर्तित करेगा या ऐसे अस्वच्छ शौचालय को तोड़ देगा और वह, ऐसे अधिभोगी से, यथास्थिति, ऐसे संपरिवर्तित किए जाने या तोड़ जाने का खर्च ऐसी रीति से, जो विहित की जाए, वसूल करने का हकदार होगा ।

संविदा, करार आदि का शून्य होना ।

6. (1) इस अधिनियम के प्रारंभ की तारीख से पूर्व किसी व्यक्ति को हाथ से मैला उठाने के प्रयोजन, के लिए लगाए जाने अथवा नियोजित किए जाने के संबंध में की गई या निष्पादित किसी संविदा, करार या अन्य लिखत, इस अधिनियम के प्रारंभ की तारीख को पर्यवसित हो जाएगी और ऐसी संविदा, करार या अन्य लिखत शून्य तथा अप्रवर्तनीय होगी और उसके लिए कोई प्रतिकर संदेय नहीं होगा ।

(2) उपधारा (1) में किसी बात के होते हुए भी, ऐसे किसी भी व्यक्ति की, जिसको पूर्णकालिक आधार पर हाथ से मैला उठाने वाले कर्मी के रूप में नियोजित किया गया या लगाया गया है, उसके नियोजक द्वारा छंटनी नहीं की जाएगी किन्तु उसको, उसकी रजामंदी के अधीन रहते हुए, कम से कम उन्हीं उपलब्धियों पर प्रतिधारित किया जाएगा और उसको हाथ से मैला उठाने से भिन्न कार्य सौंपा जाएगा ।

7. कोई व्यक्ति, स्थानीय प्राधिकारी या कोई अभिकरण, ऐसी तारीख से, जिसको राज्य सरकार अधिसूचित करे, जो इस अधिनियम के प्रारंभ की तारीख से एक वर्ष के बाद की नहीं होगी, किसी व्यक्ति को या तो प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः किसी मलनाली या मलाशय की परिसंकटमय सफाई के लिए न तो लगाएगा और न ही नियोजित करेगा ।

8. जो कोई, धारा 5 या धारा 6 के उल्लंघन के लिए कारावास से, जिसकी अवधि एक वर्ष तक की हो सकेगी या ऐसे जुर्माने से, जो पचास हजार रुपए तक का हो सकेगा, या दोनों से, दंडनीय होगा और किसी पश्चात् उल्लंघन के लिए कारावास से, जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से, जो एक लाख रुपए तक का हो सकेगा, या दोनों से, दंडनीय होगा ।

मलनालियों और मलाशयों की परिसंकटमय सफाई के लिए व्यक्तियों को लगाए जाने या नियोजित किए जाने का प्रतिषेध ।

धारा 5 या धारा 6 के उल्लंघन के लिए शास्ति ।

9. जो कोई, धारा 7 के उपबंधों का उल्लंघन करेगा, प्रथम उल्लंघन के लिए कारावास से, जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से, जो दो लाख रुपए तक का हो सकेगा, या दोनों से, दंडनीय होगा और किसी पश्चात्‌वर्ती उल्लंघन के लिए कारावास से, जिसकी अवधि पांच वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से, जो पांच लाख रुपए तक का हो सकेगा, या दोनों से, दंडनीय होगा।

10. कोई भी न्यायालय, इस अधिनियम के अधीन दंडनीय किसी अपराध का संज्ञान अभिकथित अपराध के कारित किए जाने की तारीख से तीन मास के भीतर किसी व्यक्ति द्वारा इस निमित्त उसका परिवाद करने के सिवाय न करेगा।

अध्याय 4

नगरीय और ग्रामीण क्षेत्रों में हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों की पहचान और उनका पुनर्वासन

11. (1) यदि किसी नगरपालिका के पास यह विश्वास करने का कारण है कि कुछ व्यक्ति उसकी अधिकारिता के भीतर हाथ से मैला उठाने के कार्य के लिए लगाए गए हैं या नियोजित किए गए हैं, तो ऐसी नगरपालिका का मुख्य कार्यपालक अधिकारी ऐसे व्यक्तियों की पहचान कराने के लिए एक सर्वेक्षण कराएगा।

(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट सर्वेक्षण की अंतर्वस्तु और कार्यपद्धति ऐसी होगी, जो विहित की जाए और उसको नगर निगमों की दशा में उसके प्रारंभ से दो मास की अवधि के भीतर और अन्य नगरपालिकाओं की दशा में एक मास की अवधि के भीतर पूरा किया जाएगा।

(3) नगरपालिका का मुख्य कार्यपालक अधिकारी, जिसकी अधिकारिता में सर्वेक्षण का जिम्मा लिया गया है, ठीक और समय से सर्वेक्षण पूरा कराने के लिए उत्तरदायी होगा।

(4) मुख्य कार्यपालक अधिकारी, सर्वेक्षण पूरा होने के पश्चात्, उसकी नगरपालिका की अधिकारिता के भीतर हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों के रूप में कार्य करते हुए तथा ऐसी पात्रता शर्तों को, जो विहित की जाएं, पूरा करते हुए पाए गए व्यक्तियों की एक अनंतिम सूची तैयार कराएगा, ऐसी अनंतिम सूची को सर्वसाधारण की जानकारी के लिए ऐसी रीति से, जो विहित की जाए, प्रकाशित कराएगा और सर्वसाधारण से उस सूची के प्रति आक्षेप आमंत्रित करेगा।

(5) यदि किसी व्यक्ति को उपधारा (4) के अनुसरण में प्रकाशित अनंतिम सूची में किसी नाम को या तो सम्मिलित किए जाने या उसको हटाए जाने के संबंध में कोई आक्षेप है तो वह ऐसे प्रकाशन से पंद्रह दिन की अवधि के भीतर मुख्य कार्यपालक अधिकारी को ऐसे प्ररूप में, जो नगरपालिका अविसूचित करे, आक्षेप फाइल करेगा।

(6) उपधारा (5) के अनुसरण में प्राप्त सभी आक्षेपों की जांच की जाएगी और उसके पश्चात् नगरपालिका की स्थानीय सीमाओं के भीतर हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों के रूप में कार्य करते हुए पाए जाने वाले व्यक्तियों की एक अंतिम सूची उसके द्वारा ऐसी रीति से, जो विहित की जाए, प्रकाशित की जाएगी।

(7) जैसे ही उपधारा (6) में निर्दिष्ट हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों की अंतिम सूची प्रकाशित की जाती है, उक्त सूची में सम्मिलित किए गए व्यक्ति, धारा 6 की उपधारा (2) के उपबंधों के अधीन रहते हुए हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों के रूप में कार्य करने की किसी बाध्यता से उन्मोचित हो जाएंगे।

धारा 7 के उल्लंघन के लिए शास्ति।

अभियोजन की परिसीमा।

नगरपालिकाओं द्वारा नगरीय क्षेत्रों में हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों का सर्वेक्षण।

पहचान के लिए किसी नगरीय क्षेत्र में हाथ से मैला उठाने वाले कर्मी द्वारा आवेदन।

12. (1) किसी नगरीय क्षेत्र में हाथ से मैला उठाने वाले कर्मी के रूप में कार्यरत कोई व्यक्ति, ऐसी नगरपालिका द्वारा जिसकी अधिकारिता के अधीन वह कार्य करता है, धारा 11 के अनुसरण में कराए गए किसी सर्वेक्षण के दौरान, या उसके पश्चात् किसी समय ऐसी रीति से, जो विहित की जाए, नगरपालिका के मुख्य कार्यपालक अधिकारी या उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी अन्य अधिकारी को हाथ से मैला उठाने वाले कर्मी के रूप में पहचान के लिए आवेदन कर सकेगा।

(2) उपधारा (1) के अधीन किसी आवेदन की प्राप्ति पर मुख्य कार्यपालक अधिकारी धारा 11 के अधीन किए गए सर्वेक्षण के भागस्य या जब ऐसे सर्वेक्षण में कोई प्रगति नहीं हुई हो, ऐसे आवेदन की प्राप्ति के पंद्रह दिन के भीतर यह अभिनिश्चित करने के लिए उसकी जांच कराएगा कि क्या आवेदक कोई हाथ से मैला उठाने वाला कर्मी है।

(3) यदि कोई आवेदन, उपधारा (1) के अधीन उस समय प्राप्त होता है जब धारा 11 के अधीन कोई सर्वेक्षण प्रगति में नहीं है और उसका, उपधारा (2) के अनुसार जांच के पश्चात् सही होना पाया जाता है, तो धारा 11 की उपधारा (6) के अधीन प्रकाशित अंतिम सूची में ऐसे किसी व्यक्ति का नाम, जोड़े जाने की कार्रवाई की जाएगी और उपधारा (7) में वर्णित उसके परिणामों का अनुसरण किया जाएगा।

किसी नगरपालिका द्वारा हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों के रूप में पहचान किए गए व्यक्तियों का पुनर्वास।

13. (1) ऐसे किसी व्यक्ति का, जिसको धारा 11 की उपधारा (6) के अनुसरण में प्रकाशित हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों की अंतिम सूची में सम्मिलित किया गया है या धारा 12 की उपधारा (3) के अनुसरण में उसमें जोड़ा गया है, निम्नलिखित रीति से पुनर्वास किया जाएगा, अर्थात् :—

(क) उसको एक मास के भीतर,—

(i) एक फोटो पहचान पत्र, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ, उस पर आंश्रित उसके कुटुंब के सभी व्यक्तियों के ब्यौरे अंतर्विष्ट होंगे, दिया जाएगा, और

(ii) ऐसी आरंभिक, एक बार, ऐसी नकद सहायता दी जाएगी, जो विहित की जाए;

(ख) उसके बालक, यथास्थिति, केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या स्थानीय प्राधिकरण की सुसंगत स्कीम के अनुसार छात्रवृत्ति के हकदार होंगे;

(ग) हाथ से मैला उठाने वाले कर्मी की पात्रता और रजामंदी तथा केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या संबद्ध स्थानीय प्राधिकरण की सुसंगत स्कीम के उपबंधों के अधीन रहते हुए, उसको आवासीय भूखंड आवंटित किया जाएगा और गृह निर्माण के लिए वित्तीय सहायता दी जाएगी या तैयार बना हुआ मकान, वित्तीय सहायता के साथ, आवंटित किया जाएगा ;

(घ) उसको या उसके कुटुंब के कम से कम एक वयस्क सदस्य को उसकी पात्रता और रजामंदी के अधीन रहते हुए, किसी जीवनयापन कौशल में प्रशिक्षण दिया जाएगा और उसको ऐसे प्रशिक्षण की अवधि के दौरान तीन हजार रुपए से अन्यून की मासिक वृत्तिका संदर्भ की जाएगी ;

(ङ) उसको या उसके कुटुंब के कम से कम एक वयस्क सदस्य को उसकी पात्रता और रजामंदी के अधीन रहते हुए, किसी वहनीय आधार पर कोई अनुकूल्यी उपजीविका करने के लिए सहायिकी और रियायती ऋण, ऐसी रीति से, जो केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या संबद्ध स्थानीय प्राधिकरण की सुसंगत स्कीम में नियत की जाए, दिया जाएगा;

(च) उसको ऐसी अन्य विधिक और योजनात्मक सहायता उपलब्ध कराई जाएगी जो केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार इस निमित्त, अधिसूचित करें।

(2) संबद्ध जिले का जिला मजिस्ट्रेट, उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार हाथ से मैला उठाने वाले प्रत्येक कर्मी के पुनर्वास के लिए उत्तरदायी होगा और इसके अतिरिक्त, राज्य सरकार या संबद्ध जिला मजिस्ट्रेट, अपनी ओर से जिला मजिस्ट्रेट के अधीनस्थ अधिकारियों और संबद्ध नगरपालिका के अधिकारियों को उत्तरदायित्व समनुदेशित कर सकेगा।

14. यदि किसी पंचायत को यह विश्वास करने का कारण है कि कुछ व्यक्ति उसकी अधिकारिता के भीतर हाथ से मैला उठाने के कार्य में लगे हुए हैं तो ऐसी पंचायत का मुख्य कार्यपालक अधिकारी ऐसे व्यक्तियों की पहचान करने के लिए यथा आवश्यक परिवर्तन सहित धारा 11 और धारा 12 के उपबंधों के अनुसार हाथ से मैला उठाने वाले ऐसे कर्मियों का सर्वेक्षण कराएगा।

15. (1) किसी ग्रामीण क्षेत्र में हाथ से मैला उठाने वाले कर्मी के रूप में कार्यरत कोई व्यक्ति, ऐसी पंचायत द्वारा जिसकी अधिकारिता के अधीन वह कार्य करता है, या तो धारा 14 के अनुसरण में कराए गए किसी सर्वेक्षण के दौरान या उसके पश्चात् किसी समय ऐसी रीति से, जो विहित की जाए, संबंधित पंचायत के मुख्य कार्यपालक अधिकारी या इस निमित्त उसके द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य अधिकारी को हाथ से मैला उठाने वाले कर्मी के रूप में पहचान के लिए आवेदन कर सकेगा।

(2) उपधारा (1) के अधीन किसी आवेदन की प्राप्ति पर मुख्य कार्यपालक अधिकारी, या तो धारा 14 के अधीन किए गए सर्वेक्षण के भागरूप में या जब ऐसा सर्वेक्षण प्रगति में नहीं है, ऐसे आवेदन की प्राप्ति के पंद्रह दिन के भीतर, यह अभिनिश्चित करने के लिए उसकी जांच कराएगा कि क्या आवेदक कोई हाथ से मैला उठाने वाला कर्मी है।

16. ऐसे किसी व्यक्ति को, जिसको धारा 14 के अनुसरण में हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों की प्रकाशित अंतिम सूची में सम्मिलित किया गया है या धारा 15 की उपधारा (2) के अनुसरण में उसमें जोड़ा गया है, धारा 13 में नगरीय क्षेत्र में हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों के संबंध में अधिकथित रीति से यथा आवश्यक परिवर्तन सहित पुनर्वासित किया जाएगा।

पंचायतों द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों का सर्वेक्षण।

पहचान के लिए किसी ग्रामीण क्षेत्र में हाथ से मैला उठाने वाले कर्मी द्वारा आवेदन।

किसी पंचायत द्वारा हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों के रूप में पहचान किए गए व्यक्तियों का पुनर्वास।

अध्याय 5

कार्यान्वयन प्राधिकरण

17. तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी, प्रत्येक स्थानीय प्राधिकारी का, जागरूकता अभियान के माध्यम से या ऐसी रीति से यह सुनिश्चित करने का उत्तरदायित्व होगा कि इस अधिनियम के प्रारंभ की तारीख से नीं मास की अवधि के समाप्त होने के पश्चात्—

- (i) उसकी अधिकारिता के भीतर किसी अस्वच्छ शौचालय का निर्माण, अनुरक्षण या उपयोग न किया जाए; और
- (ii) खंड (i) के उल्लंघन की दशा में धारा 5 की उपधारा (3) के अधीन अधिभोगी के विरुद्ध कार्रवाई की जाए।

अस्वच्छ शौचालयों के हटाने को सुनिश्चित करने का रथानीय प्राधिकारियों का उत्तरदायित्व।

18. समुचित सरकार, यह सुनिश्चित करने के लिए कि इस अधिनियम के उपबंधों का समुचित अनुपालन किया जाए, स्थानीय प्राधिकारी और जिला मजिस्ट्रेट को ऐसी शक्तियां प्रदान कर सकेगी तथा उस पर ऐसे कर्तव्य अधिरोपित कर सकेगी जो आवश्यक हों और स्थानीय प्राधिकारी तथा जिला मजिस्ट्रेट, ऐसे अधीनस्थ अधिकारियों को, जो इस प्रकार प्रदत्त सभी या किन्हीं शक्तियों का प्रयोग करेंगे और अधिरोपित सभी या किन्हीं कर्तव्यों का पालन करेंगे तथा ऐसी स्थानीय सीमाओं को विनिर्दिष्ट कर सकेंगे, जिनके भीतर ऐसी शक्तियों या कर्तव्यों का इस प्रकार विनिर्दिष्ट अधिकारी या अधिकारियों द्वारा पालन किया जाएगा।

ऐसे प्राधिकारी, जो इस अधिनियम के उपबंधों के क्रियान्वयन के लिए विनिर्दिष्ट किए जाएं।

जिला मजिस्ट्रेट और प्राधिकृत अधिकारियों के कर्तव्य।

19. धारा 18 के अधीन जिला मजिस्ट्रेट या प्राधिकृत प्राधिकारी या उस धारा के अधीन उनके द्वारा विनिर्दिष्ट कोई अन्य अधीनस्थ अधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए यथा विनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति के पश्चात्—

(क) उनकी अधिकारिता के भीतर हाथ से मैला उठाने वाले कर्मी के रूप में किसी व्यक्ति को, लगाया या नियोजित न किया जाए;

(ख) कोई भी अस्वच्छ शौचालय का निर्माण, अनुरक्षण, उपयोग न करे या उपयोग के लिए उपलब्ध न कराए;

(ग) इस अधिनियम के अधीन पहचान किए गए हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों का, यथास्थिति, धारा 13 या धास 16 के अनुसार पुनर्वास किया जाए;

(घ) धारा 5 या धारा 6 या धारा 7 के उपबंधों का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों का इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन अन्वेषण और अभियोजन किया जाए; और

(ङ) उसकी अधिकारिता के भीतर लागू होने वाले इस अधिनियम के सभी उपबंधों का सम्यक् रूप से अनुपालन किया जाए।

निरीक्षकों की नियुक्ति और उनकी शक्तियाँ।

20. (1) समुचित सरकार, अधिसूचना द्वारा, उतने व्यक्तियों को जितने वह ठीक समझे, इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए निरीक्षक के रूप में नियुक्त कर सकेगी और उन स्थानीय सीमाओं को, जिनके भीतर वे इस अधिनियम के अधीन अपनी शक्तियों का प्रयोग करेंगे, परिभाषित कर सकेगी।

(2) इस निमित्त बनाए गए किन्हीं नियमों के अधीन रहते हुए, निरीक्षक अपनी अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के भीतर सभी युक्तियुक्त समयों पर ऐसी सहायता के साथ जैसी वह आवश्यक समझे, निम्नलिखित प्रयोजन के लिए, किसी परिसर या स्थान में प्रविष्ट हो सकेगा,—

(क) किसी शौचालय, खुली नाली या गड्ढे की परीक्षा और जांच करना या ऐसे किसी परिसर या स्थान का निरीक्षण करना, जहां उसके पास यह विश्वास करने का कारण है कि इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध किया गया है या किया जा रहा है या किया जाने वाला है और किसी व्यक्ति के हाथ से मैला उठाने वाले कर्मी के रूप में नियोजित करना;

(ख) ऐसे किसी व्यक्ति की जांच करना, जिसको वह ऐसे परिसर या स्थान पर पाता है और जिसके बारे में उसके पास यह विश्वास करने का युक्तियुक्त कारण है कि वह उसमें हाथ से मैला उठाने वाले कर्मी के रूप में नियोजित है या अन्यथा वह इस अधिनियम के उपबंधों और उसके अधीन बनाए गए नियमों के अनुपालन या अननुपालन के संबंध में जानकारी देने की स्थिति में है;

(ग) ऐसे किसी व्यक्ति से, जिसको वह ऐसे परिसर में पाता है, ऐसे परिसरों पर हाथ से मैला उठाने वाले कर्मी के रूप में नियोजित व्यक्तियों और उनको नियोजित करने या कार्य पर लगाने वाले व्यक्तियों या अभिकरण या ठेकेदार के नामों और पतों के संबंध में ऐसी जानकारी देने की अपेक्षा करना जिसका दिया जाना उसकी शक्ति में है;

(घ) ऐसे रजिस्टरों, मजदूरियों के अभिलेख या उनकी सूचनाओं या उनके भागों का अभिग्रहण करना या उनकी प्रतियां लेना जिनको वह इस अधिनियम के अधीन ऐसे किसी अपराध के संबंध में सुसंगत समझे, जिसके बारे में उसके पास यह विश्वास करने का कारण है कि वह प्रधान नियोजक या अभिकरण द्वारा किया गया है; और

(ङ) ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग करना, जो विहित की जाए।

1860 का 45

(3) उपधारा (2) के अधीन किसी निरीक्षक द्वारा अपेक्षित किसी दस्तावेज या वर्स्तु को प्रस्तुत करने या कोई जानकारी देने के लिए अपेक्षित किसी व्यक्ति को, भारतीय दंड संहिता की धारा 175 और धारा 176 के अर्थात् ऐसा करने के लिए वैध रूप से आवद्ध समझा जाएगा ।

1974 का 2

(4) दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 के उपबंध, जहां तक हो सके उपधारा (2) के अधीन ऐसी किसी तलाशी या अभिग्रहण को ऐसे लागू होंगे जैसे वे उक्त संहिता की धारा 94 के अधीन जारी वारंट के प्राधिकार के अधीन की गई तलाशी या अभिग्रहण को लागू होते हैं ।

अध्याय 6

विचारण संबंधी प्रक्रिया

1974 का 2

21. (1) राज्य सरकार, इस अधिनियम के अधीन अपराधों के विचारण के लिए किसी कार्यपालक मजिस्ट्रेट को प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट की शक्तियां प्रदान कर सकेगी; और शक्तियों के इस प्रकार प्रदान किए जाने पर, ऐसा कार्यपालक मजिस्ट्रेट, जिसको इस प्रकार शक्तियां प्रदान की गई हैं, दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 के प्रयोजनों के लिए प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट समझा जाएगा ।

अपराधों का विचारण कार्यपालक मजिस्ट्रेट द्वारा किया जाना ।

1974 का 2

22. दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, इस अधिनियम के अधीन प्रत्येक अपराध संज्ञेय और अजमानतीय होगा ।

अपराध का संज्ञेय और अजमानतीय होना ।

23. (1) जहां इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध, किसी कंपनी द्वारा किया गया है, वहां ऐसा प्रत्येक व्यक्ति, जो उस अपराध के किए जाने के समय उस कंपनी के कारबाह के संचालन के लिए उस कंपनी का भारसाधक और उसके प्रति उत्तरदायी था और साथ ही वह कंपनी भी, ऐसे अपराध के दोषी समझे जाएंगे और तदनुसार अपने विरुद्ध कार्यवाही किए जाने और दंडित किए जाने के भागी होंगे ।

कंपनियों द्वारा अपराध ।

(2) उपधारा (1) में किसी बात के होते हुए भी, जहां इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध, किसी कंपनी द्वारा किया गया है और यह सावित हो जाता है कि वह अपराध कंपनी के किसी निदेशक, प्रबंधक, सचिव या अन्य अधिकारी की सहमति या मौनानुकूलता से किया गया है या उस अपराध का किया जाना उसकी किसी उपेक्षा के कारण माना जा सकता है, वहां ऐसा निदेशक, प्रबंधक, सचिव या अन्य अधिकारी भी उस अपराध का दोषी समझा जाएगा और तदनुसार अपने विरुद्ध कार्यवाही किए जाने और दंडित किए जाने का भागी होगा ।

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजनों के लिए,—

(क) “कंपनी” से कोई निगमित निकाय अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत फर्म या व्यष्टियों का अन्य संगम भी है; और

(ख) फर्म के संबंध में, “निदेशक” से उस फर्म का भागीदार अभिप्रेत है ।

अध्याय 7

सतर्कता समितियां

24. (1) प्रत्येक राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, प्रत्येक जिले और प्रत्येक उप-खंड के लिए एक सतर्कता समिति गठित करेगी ।

सतर्कता समितियां ।

(2) किसी जिले के लिए गठित प्रत्येक सतर्कता समिति, निम्नलिखित सदस्यों से मिलकर बनेगी, अर्थात्:—

(क) जिला मजिस्ट्रेट—अध्यक्ष, पदेन;

(ख) जिले से निर्वाचित अनुसूचित जातियों के राज्य विधान-मंडल के सभी सदस्य—सदस्य:

परंतु यदि किसी जिले में अनुसूचित जातियों का कोई सदस्य राज्य विधान-मंडल में नहीं है, तो राज्य सरकार, जिले से राज्य विधान-मंडल के दो से अनधिक उतने अन्य सदस्यों को, जितने वह समुचित समझे, नामनिर्दिष्ट कर सकेगी;

(ग) जिला पुलिस अधीक्षक — सदस्य, पदेन;

(घ) निम्नलिखित के मुख्य कार्यपालक अधिकारी,—

(i) जिला स्तर पर पंचायत—सदस्य, पदेन;

(ii) जिला मुख्यालय की नगरपालिका—सदस्य, पदेन;

(iii) जिले में गठित कोई अन्य नगर निगम—सदस्य, पदेन;

(iv) जिले में स्थित छावनी बोर्ड, यदि कोई हो—सदस्य, पदेन;

(ड) जिले में अवस्थित रेल प्राधिकारी द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाने वाला एक प्रतिनिधि;

(च) जिला मजिस्ट्रेट द्वारा नामनिर्दिष्ट किए जाने वाले हाथ से मैला उठाने का प्रतिषेध करने और हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों के पुनर्वास के कार्य में लगे हुए या हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों के समुदाय का प्रतिनिधित्व करने वाले संगठन से संबंध रखने वाले, जिले के निवासी, चार से अनधिक सामाजिक कार्यकर्ता, जिनमें से दो महिलाएं होंगी;

(छ) जिले की वित्तीय और प्रत्यय संस्थाओं का प्रतिनिधित्व करने के लिए जिला मजिस्ट्रेट द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाने वाला एक व्यक्ति;

(ज) अनुसूचित जाति कल्याण का जिला स्तरीय भारसाधक अधिकारी—सदस्य—सचिव, पदेन;

(झ) राज्य सरकार के साधारण आदेशों के अधीन रहते हुए, यदि कोई हों, विभागों और अभिकरणों के जिला स्तरीय ऐसे अधिकारी, जिनको जिला मजिस्ट्रेट की राय में इस अधिनियम के कार्यान्वयन में महत्वपूर्ण कार्य करना है।

(3) किसी उपखंड के लिए गठित प्रत्येक सतर्कता समिति निम्नलिखित सदस्यों से मिलकर बनेगी, अर्थात् :—

(क) उपखंड मजिस्ट्रेट—अध्यक्ष, पदेन;

(ख) उपखंड के मध्यवर्ती स्तर पर पंचायतों के अध्यक्ष और मुख्य कार्यपालक अधिकारी तथा जहां मध्यवर्ती स्तर पर पंचायतें विद्यमान नहीं हैं, वहां ग्राम स्तर पर उपखंड मजिस्ट्रेट द्वारा नामनिर्दिष्ट किए जाने वाले दो पंचायतों के अध्यक्ष—सदस्य, पदेन;

(ग) पुलिस का उपखंड अधिकारी—सदस्य, पदेन;

(घ) निम्नलिखित का मुख्य कार्यपालक अधिकारी —

(i) उपखंड मुख्यालय की नगरपालिका—सदस्य, पदेन; और

(ii) उपखंड में स्थित छावनी बोर्ड, यदि कोई हो—सदस्य, पदेन;

(ङ) उपखंड में अवस्थित रेल प्राधिकारी द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाने वाला एक प्रतिनिधि—सदस्य, पदेन;

(च) जिला मजिस्ट्रेट द्वारा नामनिर्दिष्ट किए जाने वाले हाथ से मैला उठाने का प्रतिषेध करने और हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों के पुनर्वास के कार्य में लगे हुए या हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों के समुदाय का प्रतिनिधित्व करने वाले संगठन से संबंध रखने वाले, उपखंड के निवासी, दो सामाजिक कार्यकर्ता, जिनमें से एक महिला होगी;

(छ) उपखंड की वित्तीय और प्रत्यय संस्थाओं का प्रतिनिधित्व करने के लिए उपखंड मजिस्ट्रेट द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाने वाला एक व्यक्ति;

(ज) अनुसूचित जाति कल्याण का उपखंड स्तरीय भारसाधक अधिकारी—सदस्य—सचिव, पदेन;

(झ) राज्य सरकार के या जिला मजिस्ट्रेट के साधारण आदेशों के अधीन रहते हुए विभाग और अभिकरणों के उपखंड स्तरीय ऐसे अधिकारी, जिनको उपखंड मजिस्ट्रेट की राय में इस अधिनियम के कार्यान्वयन में महत्वपूर्ण कार्य करना है—सदस्य, पदेन।

(4) जिला और उपखंड स्तर पर गठित प्रत्येक सतर्कता समिति की प्रत्येक तीन मास में कम से कम एक बैठक होगी।

(5) सतर्कता समितियों की कोई कार्यवाही, केवल इस कारण अविधिमान्य नहीं होगी कि उसके गठन में कोई त्रुटि है।

25. सतर्कता समिति के निम्नलिखित कृत्य होंगे—

सतर्कता समिति के कृत्य।

(क) यथास्थिति, जिला मजिस्ट्रेट या उपखंड मजिस्ट्रेट को इस अधिनियम के उपबंधों या उसके अधीन बनाए गए किसी नियम के समुचित कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कार्रवाई करने के लिए सलाह देना;

(ख) हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों के आर्थिक और सामाजिक पुनर्वास की निगरानी रखना;

(ग) हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों के पुनर्वास के लिए पर्याप्त प्रत्यय जुटाने की दृष्टि से सभी संबंधित अभिकरणों के कृत्यों का समन्वय करना;

(घ) इस अधिनियम के अधीन अपराधों के रजिस्ट्रीकरण और उनके अन्वेषण और अभियोजन को मानीटर करना।

26. (1) प्रत्येक राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा एक राज्य मानीटरी समिति का गठन करेगी जो निम्नलिखित सदस्यों से मिलकर बनेगी, अर्थात्—

राज्य मानीटरी समिति।

(क) राज्य का मुख्यमंत्री या उसके द्वारा नामनिर्दिष्ट कोई मंत्री—अध्यक्ष, पदेन;

(ख) अनुसूचित जाति कल्याण और ऐसे अन्य विभाग का, जो राज्य सरकार अधिसूचित करे, प्रभारी मंत्री;

(ग) राज्य सफाई कर्मचारी और अनुसूचित जाति आयोगों का, यदि कोई हो, अध्यक्ष—सदस्य, पदेन;

(घ) राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और सफाई कर्मचारी आयोग के प्रतिनिधि—सदस्य, पदेन;

(ङ) राज्य विधान-मंडल के अनुसूचित जातियों के राज्य सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट दो से अन्यून सदस्य :

परन्तु यदि राज्य विधान-मंडल में अनुसूचित जातियों का कोई सदस्य नहीं है तो राज्य सरकार अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों को नामनिर्दिष्ट कर सकेगी;

(च) पुलिस महानिदेशक—सदस्य, पदेन;

(छ) राज्य सरकार के गृह, पंचायती राज विभागों, शहरी स्थानीय निकायों और ऐसे अन्य विभागों के सचिव, जो राज्य सरकार अधिसूचित करे;

(ज) जिला स्तर पर कम से कम ऐसे एक नगर निगम, पंचायत, छावनी बोर्ड और रेलवे प्राधिकरण का, जो राज्य सरकार अधिसूचित करे, मुख्य कार्यपालक अधिकारी;

(झ) राज्य सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किए जाने वाले हाथ से मैला उठाने का प्रतिषेध करने और हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों के पुनर्वास के कार्य में लगे हुए या हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों के समुदाय का प्रतिनिधित्व करने वाले संगठन से संबंध रखने वाले, राज्य में निवासी, चार से अनधिक सामाजिक कार्यकर्ता, जिनमें से दो महिलाएं होंगी;

(ज) राज्य स्तरीय बैंककार समिति के संयोजक बैंक का राज्य स्तरीय प्रमुख—सदस्य, पदेन;

(ट) राज्य सरकार के अनुसूचित जातियों के विकास से संबंधित विभाग का सचिव—सदस्य-सचिव, पदेन;

(ठ) राज्य सरकार के विभागों और ऐसे अन्य अभिकरणों के ऐसे अन्य प्रतिनिधि, जो राज्य सरकार की राय में इस अधिनियम के कार्यान्वयन से संबद्ध हैं।

(2) राज्य मानीटरी समिति, प्रत्येक छह मास में कम से कम एक बार बैठक करेगी और अपनी बैठकों में कारबाह के संव्यवहार के संबंध में प्रक्रिया के ऐसे नियमों का, जो विहित किए जाएं, अनुपालन करेंगी।

27. राज्य मानीटरी समिति के निम्नलिखित कृत्य होंगे,—

(क) इस अधिनियम के प्रभावी कार्यान्वयन को मानीटर करना और उसके लिए राज्य सरकार और रथानीय प्राधिकारियों को सलाह देना;

(ख) सभी संबंधित अभिकरणों के कृत्यों का समन्वय करना;

(ग) इस अधिनियम के कार्यान्वयन के लिए उसके आनुषंगिक या उससे संबंधित किसी अन्य विषय की जांच करना।

28. प्रत्येक राज्य या संघ राज्यक्षेत्र सरकार और संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन, केन्द्रीय सरकार को इस अधिनियम के कार्यान्वयन की प्रगति के संबंध में ऐसी आवधिक रिपोर्ट भेजेंगे, जो केन्द्रीय सरकार अपेक्षा करे।

29. (1) केन्द्रीय सरकार, अधिसूचना द्वारा, इस धारा के उपबंधों के अनुसार एक केन्द्रीय मानीटरी समिति गठित करेगी।

(2) केन्द्रीय मानीटरी समिति निम्नलिखित सदस्यों से मिलकर बनेगी, अर्थात् :—

(क) संघ का सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री—अध्यक्ष, पदेन;

(ख) अध्यक्ष, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग—सदस्य, पदेन;

(ग) सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री—सदस्य, पदेन;

राज्य मानीटरी समिति
के कृत्य।

राज्य या संघ राज्यक्षेत्रों
का केन्द्रीय सरकार को
आवधिक रिपोर्ट भेजने
का कर्तव्य।

केन्द्रीय मानीटरी
समिति।

- (घ) अध्यक्ष, राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग—सदस्य, पदेन;
- (ङ) योजना आयोग का अनुसूचित जातियों के विकास से संबद्ध सदस्य—सदस्य, पदेन;
- (च) अनुसूचित जातियों के तीन निर्वाचित संसद् सदस्य, दो लोक सभा से और एक राज्य सभा से;
- (छ) निम्नलिखित मंत्रालयों के सचिव:—
- सामाजिक न्याय और अधिकारिता, सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग;
 - शहरी विकास;
 - आवास और शहरी गरीबी उन्मूलन;
 - पेय जल और स्वच्छता;
 - पंचायती राज;
 - वित्त, वित्तीय सेवा विभाग, और
 - रक्षा,
- सदस्य, पदेन होंगे;
- (ज) अध्यक्ष, रेलवे बोर्ड—सदस्य, पदेन;
- (झ) महानिदेशक, रक्षा संपदा—सदस्य, पदेन;
- (ञ) कम से कम ऐसे छह राज्य सरकारों और एक संघ राज्यक्षेत्र के प्रतिनिधि, जो केन्द्रीय सरकार अधिसूचित करे;
- (ट) अध्यक्ष द्वारा नामनिर्दिष्ट किए जाने वाले हाथ से मैला उठाने का प्रतिषेध करने और हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों के पुनर्वास के कार्य में लगे हुए या हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों के समुदाय का प्रतिनिधित्व करने वाले संगठन से संबंध रखने वाले, देश के निवासी, छह से अनधिक सामाजिक कार्यकर्ता, जिनमें से दो महिलाएं होंगी;
- (ठ) सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय का, अनुसूचित जातियों के विकास से संबद्ध, संयुक्त सचिव—सदस्य-सचिव, पदेन;
- (ड) केन्द्रीय मंत्रालयों या विभागों और अभिकरणों के ऐसे अन्य प्रतिनिधि, जो अध्यक्ष की राय में इस अधिनियम के कार्यान्वयन से संबद्ध हैं।
- (3) केन्द्रीय मानीटरी समिति, प्रत्येक छह मास में कम से कम एक बार बैठक करेगी।

30. केन्द्रीय मानीटरी समिति के निम्नलिखित कृत्य होंगे,—

केन्द्रीय मानीटरी समिति के कृत्य।

- (क) इस अधिनियम और सुसंगत विधियों तथा कार्यक्रमों के प्रभावी कार्यान्वयन को मानीटर करना और उसके लिए केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकार को सलाह देना;

(ख) सभी संबंधित अभिकरणों के कृत्यों का समन्वय करना;

- (ग) इस अधिनियम के कार्यान्वयन के आनुषंगिक या उससे संबंधित किसी अन्य विषय की जांच करना।

31. (1) राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग निम्नलिखित कृत्य करेगा, अर्थात् :—

राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग के कृत्य।

- (क) इस अधिनियम के कार्यान्वयन को मानीटर करना ;

(ख) इस अधिनियम के उपबंधों के उल्लंघन से संबंधित शिकायतों की जांच करना और संबंधित प्राधिकारियों को आगे कार्रवाई की अपेक्षा करने संबंधी सिफारिशों सहित अपने निष्कर्ष संप्रेषित करना; और

(ग) इस अधिनियम के उपबंधों के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारों को सलाह देना;

(घ) इस अधिनियम को कार्यान्वित न करने से संबंधित मामले की स्वप्रेरणा से अवेक्षा करना।

(2) राष्ट्रीय आयोग को, उपधारा (1) के अधीन अपने कृत्यों के निर्वहन में, किसी सरकार या स्थानीय या अन्य प्राधिकारी से उस उपधारा में विनिर्दिष्ट किसी मामले के संबंध में जानकारी मांगने की शक्ति होगी।

राज्य सरकार की इस अधिनियम के कार्यान्वयन को मानीटर करने के लिए किसी समुचित प्राधिकारी को पदाभित करने की शक्ति।

32. (1) राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, राज्य सफाई कर्मचारी आयोग या राज्य अनुसूचित जाति आयोग को या ऐसे अन्य कानूनी या अन्य प्राधिकारी को, जो वह ठीक समझे, राज्य में धारा 31 की उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट कृत्यों को, यथा आवश्यक परिवर्तन सहित, करने के लिए पदाभित कर सकेगी।

(2) उपधारा (1) के अधीन पदाभित किसी पदाधिकारी को, राज्य में आवश्यक परिवर्तन सहित, धारा 31 की उपधारा (2) में यथा विनिर्दिष्ट राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग की शक्तियां होंगी।

अध्याय 8

प्रकीर्ण

स्थानीय प्राधिकारियों और अन्य अभिकरणों का मलनालियों आदि को साफ करने के लिए आधुनिक प्रौद्योगिकी का उपयोग करने का कर्तव्य।

33. (1) प्रत्येक स्थानीय प्राधिकारी और अन्य अभिकरण का यह कर्तव्य होगा कि मल-मूत्र की सफाई करने की प्रक्रिया में उसको हाथ से उठाने की आवश्यकता को खत्म करने की दृष्टि से अपने नियंत्रण के अधीन मलनालियों, मलाशयों और अन्य स्थानों की सफाई के लिए समुचित प्रौद्योगिकी साधनों का प्रयोग करे।

(2) यह समुचित सरकार का कर्तव्य होगा कि वह वित्तीय सहायता, प्रोत्साहनों के माध्यम से और अन्यथा, उपधारा (1) में यथावर्गित आधुनिक प्रौद्योगिकी के उपयोग को बढ़ावा दे।

सद्भावपूर्वक की गई कार्रवाई के लिए संख्या।

34. इस अधिनियम के अधीन सद्भावपूर्वक की गई या किए जाने के लिए आशयित किसी बात के लिए कोई भी वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही किसी समुचित सरकार या समुचित सरकार के किसी अधिकारी या किसी समिति के किसी सदस्य के विरुद्ध नहीं होगी।

सिविल न्यायालय की अधिकारिता का वर्जित होना।

35. किसी सिविल न्यायालय को ऐसे किसी मामले के संबंध में, जिसको इस अधिनियम का कोई उपबंध लागू होता है, अधिकारिता नहीं होगी और इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन की गई या किए जाने के लिए आशयित किसी बात के संबंध में कोई व्यादेश किसी सिविल न्यायालय द्वारा नहीं दिया जाएगा।

समुचित सरकार की नियम बनाने की शक्ति।

36. (1) समुचित सरकार, अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए, इस अधिनियम के प्रारंभ की तारीख से तीन मास से अनधिक की अवधि के भीतर, नियम बनाएगी।

(2) विशिष्टतया और पूर्वगमी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ऐसे नियम निम्नलिखित सभी या किन्हीं विषयों के लिए उपबंध कर सकेंगे, अर्थात्—

(क) धारा 2 की उपधारा (1) के खंड (घ) के अधीन किसी नियोजक की बाध्यता;

(ख) वह रीति, जिसमें धारा 2 की उपधारा (1) के खंड (ड) और खंड (छ) के अधीन मल-मूत्र का पूर्णतया विघटन किया जाता है;

(ग) धारा 4 की उपधारा (1) के खंड (क) के अधीन अस्वच्छ शौचालय के सर्वेक्षण और उसकी सूची के प्रकाशन की रीति;

(घ) धारा 5 की उपधारा (3) के अधीन किसी अस्वच्छ शौचालय को तोड़ने की सूचना देने और उस पर व्यय की वसूली की प्रक्रिया;

(ड) धारा 11 की उपधारा (2) के अधीन सर्वेक्षण की अन्तर्वस्तु और पद्धति;

(च) धारा 11 की उपधारा (4) के अधीन हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों की पहचान के लिए पात्रता शर्तें और हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों के रूप में कार्य करते पाए गए व्यक्तियों की अंतिम सूची का प्रकाशन;

(छ) धारा 11 की उपधारा (6) के अधीन हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों के रूप में कार्य करते पाए गए व्यक्तियों की अंतिम सूची का प्रकाशन;

(ज) नगरपालिका के मुख्य कार्यपालक अधिकारी या इस निमित्त उसके द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी को, यथास्थिति, धारा 12 की उपधारा (1) या धारा 15 की उपधारा (1) के अधीन आवेदन करने की रीति;

(झ) धारा 13 की उपधारा (1) के खंड (क) के उपखंड (ii) के अधीन प्रारंभिक, एक बार, नकद सहायता का उपबंध;

(ज) धारा 20 की उपधारा (2) के खंड (ड) के अधीन निरीक्षकों की ऐसी अन्य शक्तियां; और

(ट) कोई अन्य विषय, जो विहित किया जाना अपेक्षित है या विहित किया जाए।

(3) इस अधिनियम के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा बनाया गया प्रत्येक नियम, बनाए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र, संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब वह सत्र में हो, कुल तीस दिन की अवधि के लिए रखा जाएगा। यह अवधि एक सत्र में अथवा दो या अधिक आनुक्रमिक सत्रों में पूरी हो सकेगी। यदि उस सत्र के या पूर्वोक्त सत्रों के ठीक बाद के सत्र के अवसान के पूर्व दोनों सदन उस नियम में कोई परिवर्तन करने के लिए सहमत हो जाएं तो तत्पश्चात् वह ऐसे परिवर्तित रूप में ही प्रभावी होगा। यदि उक्त अवसान के पूर्व दोनों सदन सहमत हो जाएं कि वह नियम नहीं बनाया जाना चाहिए तो तत्पश्चात् वह निष्प्रभाव हो जाएगा। किंतु नियम के ऐसे परिवर्तित या निष्प्रभाव होने से उसके अधीन पहले की गई किसी बात की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

(4) राज्य सरकार द्वारा इस अधिनियम के अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम, बनाए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र, जहां राज्य विधान-मंडल के दो सदन हैं, वहां प्रत्येक सदन के समक्ष, और जहां राज्य विधान-मंडल का एक सदन है, वहां उस सदन के समक्ष रखा जाएगा।

आदर्श नियम बनाए जाने की केन्द्रीय सरकार की शक्ति।

37. (1) इस अधिनियम की धारा 36 में किसी बात के होते हुए भी,—

(क) केन्द्रीय सरकार, अधिसूचना द्वारा, राज्य सरकारों के मार्गदर्शन और उपयोग के लिए आदर्श नियम प्रकाशित करेगी; और

(ख) यदि, राज्य सरकार इस अधिनियम की धारा 36 के अधीन उसमें विनिर्दिष्ट तीन मास की अवधि के भीतर आदर्श नियमों को अधिसूचित करने में असफल रहती है तो ऐसे राज्य में राज्य सरकार द्वारा अपने नियम अधिसूचित किए जाने तक केन्द्रीय सरकार द्वारा यथा अधिसूचित आदर्श नियम यथावश्यक परिवर्तन सहित प्रभावी समझे जाएंगे।

(2) इस अधिनियम के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा बनाए गए आदर्श नियम, बनाए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र, संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब वह सत्र में हो, कुल तीस दिन की अवधि के लिए रखे जाएंगे। यह अवधि एक सत्र में अथवा दो या अधिक आनुक्रमिक सत्रों में पूरी हो सकेगी। यदि उस सत्र के या पूर्वोक्त आनुक्रमिक सत्रों के ठीक बाद के सत्र के अवसान के पूर्व दोनों सदन उस नियम में कोई परिवर्तन करते हैं तो तत्पश्चात् वह ऐसे परिवर्तित रूप में ही प्रभावी होगा। किंतु नियम के ऐसे परिवर्तित होने से उसके अधीन पहले की गई किसी बात की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति।

38. (1) यदि इस अधिनियम के उपबंधों को प्रभावी करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा, ऐसे उपबंध कर सकेगी जो इस अधिनियम के उपबंधों से असंगत न हों, जो उस कठिनाई को दूर करने के लिए आवश्यक और समीचीन प्रतीत हों:

परंतु ऐसा कोई आदेश किसी राज्य में इस अधिनियम के प्रारंभ से तीन वर्ष की समाप्ति के पश्चात् उस राज्य के संबंध में नहीं किया जाएगा।

(2) इस धारा के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश किए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र, संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखा जाएगा।

छूट देने की शक्ति।

39. (1) समुचित सरकार, राजपत्र में प्रकाशित किसी साधारण या विशेष आदेश द्वारा किसी क्षेत्र, भवनों के प्रवर्ग या व्यक्तियों के वर्ग को, अभिलिखित किए जाने वाले कारणों से और ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, जो अधिरोपित की जाए, इस अधिनियम के उपबंधों से या इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए किसी नियम, आदेश, अधिसूचना, उपविधि या स्कीम में अंतर्विष्ट किसी विनिर्दिष्ट अपेक्षा से छूट दे सकेगी या मामलों के किसी वर्ग या वर्गों में किसी ऐसी अपेक्षा के पालन से एक समय में छह मास से अनधिक की किसी अवधि के लिए अभिमुक्त कर सकेगी।

(2) इस धारा के अधीन किया गया प्रत्येक साधारण या विशेष आदेश, किए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र, संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष या जहाँ राज्य विधान-मंडल के दो सदन हैं, वहाँ प्रत्येक सदन के समक्ष और जहाँ राज्य विधान-मंडल का एक सदन है, वहाँ उस सदन के समक्ष रखा जाएगा।

प्रेम कुमार मल्होत्रा,
सचिव, भारत सरकार।